[2019] 11 एस. सी. आर 508

मेसर्स नेटेसन एजेंसीज (प्लैन्टेशंस)

वी.

राज्य प्रतिनिधि। सरकार के सचिव द्वारा

पर्यावरण और वन विभाग

(2010 की सिविल अपील सं. 5397)

अगस्त 20,2019

[अभय मनोहर सेप्रे और

दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

वन्यजीव जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972। 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 27 और 28-नुकसान की वसूली-अपीलार्थी-साझेदारी

फर्म ने वाणिज्यिक फसलों की खेती के उद्देश्य से अपने मालिक, मठ से पट्टे पर जमीन ली थी-पंजीकृत पट्टा एक के लिए था

5 साल की अवधि यानी 01.07.1972 से 30.06.1977-राज्य ने वन्यजीव अभयारण्य के उद्देश्य के लिए दिनांक 06.03.1976 अधिसूचना जारी की

जिसमें विचाराधीन भूमि शामिल थी-उसके बाद, एक नई दीर्घकालिक अवधि

25 साल की अवधि के लिए पट्टा (01.07.1977 से 30.06.2002 तक) बनाया गया था-अपीलकर्ता और मठ ने विचाराधीन भूमि को अभयारण्य से बाहर करने का प्रयास किया, हालांकि वे असफल रहे

इसके बाद, अधिग्रहण के लिए मुआवजे का पुरस्कार दिया गया।

विचार किया, लेकिन पुरस्कार देने के बजाय, कलेक्टर ने जारी किया दिनांकित 19.11.1993 का आदेश, जिसमें विचाराधीन भूमि को शामिल नहीं किया गया है

वन्यजीव अभयारण्य की सीमाएँ-पीड़ित, मठ और अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसे एकल न्यायाधीश ने अनुमति दी-हालाँकि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को मंजूरी नहीं दी।

और रिट याचिका को खारिज करते हुए इसे अपीलार्थी के लिए खुला छोड़ दिया

और मठ अपने दावे में उपयुक्त मंच से संपर्क करे

हर्जाना-डिवीजन बेंच ने भी शक्ति को स्वीकार किया

सरकार अधिसूचना से हट जाए और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत एक पुरस्कार से इनकार करे-उसके बाद, 08.06.1998 पर

अपीलार्थी ने नुकसान की वसूली के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया

राज्य इस आधार पर कि अपीलार्थी को 1976 से 1993 तक विचाराधीन भूमि का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया था-राज्य का एकल न्यायाधीश

उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के पक्ष में फैसला सुनाया-हालाँकि, प्रभाग

पीठ ने आदेश को उलट दिया और मुकदमे को खारिज कर दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया:

508 मेसर्स नेटेसन एजेंसीज (प्लैन्टेशंस) v. राज्य प्रतिनिधि। एस. ई. सी. द्वारा। सरकार के लिए। पर्यावरण और वन विभाग।

दिनांक 2 की अधिसूचना जारी होने और विचाराधीन भूमि को शामिल करने के बाद, अपीलार्थी के लिए पट्टा की अवधि समाप्त होने के बाद भूमि में कोई और अधिकार प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं था-इसलिए, दूसरा पट्टा (यानी 25 वर्षों के लिए पट्टा) प्रभावी नहीं था-अपीलार्थी ने उक्त दूसरे पट्टे के तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया था और कम से कम राज्य के खिलाफ कोई अधिकार प्राप्त किया था।

इसलिए, अपीलार्थी को हर्जाने का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था इसके अलावा, अपीलार्थी को बेदखल नहीं किया गया था और यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि अपीलार्थी को राज्य द्वारा जंगल के अंदर जाने और लाभ एकत्र करने से रोका गया था।

सीमा अधिनियम, 1963 - एस. 14 की प्रयोज्यता-अपीलकर्ता साझेदारी फर्म ने वाणिज्यिक फसलों की खेती के उद्देश्य से पट्टे पर भूमि ली थी-दिनांक 06.03.1976 पर एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि अभयारण्य के लिए कौन सी भूमि अधिग्रहित की गई थी अपीलार्थी और मठ ने विचाराधीन भूमि को अभयारण्य से बाहर करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे-इसके बाद, मुआवजा देने के बजाय, कलेक्टर ने 19.11.1993 पर भूमि को बाहर कर दिया।

अभयारण्य से विचाराधीन भूमि-पीड़ित, अपीलार्थी ने दायर की

उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका, जिसे एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी-हालांकि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रिट याचिका को खारिज करते हुए मठ और अपीलार्थी के लिए हर्जाने का दावा करने के लिए उपयुक्त मंच से संपर्क करने के लिए खुला छोड़ दिया-खंड पीठ ने यह भी कहा कि अपीलार्थी के लिए उस अवधि को हटाने की मांग करना खुला है जिसके दौरान वे उच्च न्यायालय में मामले पर मुकदमा चला रहे थे, अपीलार्थी ने हर्जाने की वसूली के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया था, जिसका निर्णय उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा उसके पक्ष में किया गया था, हालांकि, खंड पीठ ने आदेश को उलट दिया और याचिका को खारिज कर दिया। यह तय किया गया है कि एस की प्रयोज्यता के लिए। 14 परिसीमा अधिनियम और पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में बिताए गए समय को छोड़कर, पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती दोनों कार्यवाहियों में मुद्दा-इन-इश्यू होना चाहिए - वही-वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने पहले की कार्यवाही में अभयारण्य से भूमि को हटाने की मांग की थी और उस राज्य को भूमि लेनी चाहिए और मुआवजा देना चाहिए-जबकि, वर्तमान मुकदमे में दावा इस आधार पर किया गया था कि वादी ने

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत कार्यवाही के कारण नुकसान हुआ और फिर, अधिग्रहण से विषय भूमि के बहिष्कार के कारण वर्तमान मुकदमे और मामले में दावा की गई राहत-

इस मुद्दे को वैसा ही नहीं कहा जा सकता जैसा पहले की कार्यवाही में था-इसलिए, सीमा अधिनियम की धारा 14 में लागू नहीं है

वर्तमान मामला।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

अपीलार्थी द्वारा हर्जाने के लिए दावा-चाहे

टिकाऊ?

1. इसमें कोई संदेह नहीं है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की योजना के तहत एक अधिसूचना जारी की गई है।

धारा 18 का विशिष्ट और हड़ताली प्रभाव है, ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर शामिल भूमि में किसी भी अधिकार के संचय को रोकने का, सिवाय इसके कि -

30.06.1977 पर पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद अपीलार्थी के लिए विचाराधीन भूमि में कोई और अधिकार प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं है। केवल इसी कारण से, इस न्यायालय का स्पष्ट रूप से यह विचार था कि तथाकथित दूसरा पट्टा विलेख, जिसे 20.03.1978 पर अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित किया गया था, का कोई प्रभाव नहीं था। दूसरे शब्दों में, धारा 18 (1) के तहत अधिसूचना 06.03.1976 पर जारी होने के बाद, विचाराधीन भूमि में उत्तराधिकार के अलावा कोई अधिकार अर्जित नहीं किया जा सकता था और इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा विषय भूमि में किसी भी अधिकार का अधिग्रहण, जिसे लीज के माध्यम से उक्त अधिसूचना दिनांक 06.03.1976 द्वारा कवर किया गया है, पूरी तरह से प्रश्न से बाहर था। [पैरा 16] [543-बी; 544-ए-सी] 2. अपीलार्थी के मामले के पूरे आधार को जमीन पर गिरा दिया जाता है जब यह पाया जाता है कि अपीलार्थी ने

उक्त दूसरे पट्टे दिनांक 20.03.1978 के तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया

और कम से कम राज्य के खिलाफ कोई अधिकार। यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले सभी मुकदमों में, शुरू में अभयारण्य से विचाराधीन भूमि को हटाने की मांग की गई थी; फिर इसके मैसर्स नेटेसन एजेंसीज (प्लैन्टेशंस) के लिए मुआवजे की मांग की गई थी।

राज्य प्रतिनिधि। एस. ई. सी. द्वारा। सरकार के लिए। पर्यावरण और वन विभाग।

समावेशन; और फिर इसके बहिष्कार पर सवाल उठाते हुए, मठ एक सक्रिय प्रतिभागी रहा था। वास्तव में, बहिष्कार पर सवाल उठाने की अंतिम याचिका मठ और अपीलार्थी द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी। हालाँकि, मठ इस मुकदमे में हर्जाने के दावे में शामिल नहीं हुआ है। अपीलार्थी को दिनांक 19.11.1993 के अपवर्जन के आदेश के आधार पर कार्रवाई के कथित कारण के संदर्भ में हर्जाने का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि कथित

दूसरा पट्टा प्रभावी नहीं था और अपीलार्थी ने इसके तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया था। दूसरे शब्दों में, यदि राज्य के खिलाफ कार्रवाई बनाए रखने का कोई अधिकार दिनांक 1 के बहिष्करण आदेश में दिया गया है, तो केवल और केवल मठ ही ऐसी कार्रवाई कर सकता था, लेकिन अपीलकर्ता नहीं। अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया मुकदमा केवल इसी आधार पर खारिज किया जा सकता है। [पैरा 16.1] [544-डी-जी]

3. डिवीजन बेंच ने विवादित में सही टिप्पणी की है

निर्णय कि यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि मूल मालिक और वादी को जंगल के अंदर जाने और उपभोग एकत्र करने से रोका गया था। की समझ में अभिलेख पर तथ्यों और लागू कानून के अनुसार, यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी-अपीलार्थी को राज्य द्वारा किसी भी गैरकानूनी तरीके से अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करने से रोका गया था। अतः, अपीलार्थी के लिए कार्रवाई बनाए रखने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है।

नुकसान होता है। [पैरा 17.2] [545-एफ-जी]

सीमा

4. धारा 14 सीमा अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो किसी ऐसे न्यायालय में एक दीवानी कार्यवाही पर मुकदमा चलाने में बिताए गए समय को बाहर करने का प्रावधान करता है, जिसकी अधिकारिता नहीं है, जबकि किसी भी मुकदमे में सीमा की गणना करते हुए जहां मुद्दा पहले की कार्यवाही के समान है। [पैरा 21.4] [548-सी] 5. वर्तमान मामले में, इस तथ्य को छोड़कर कि दिनांकित 19.11.1993 के बहिष्करण आदेश को चुनौती देने वाली पिछली रिट याचिका थी

दीवानी कार्यवाही और वादी मुकदमा चला रहे होंगे

उचित परिश्रम के साथ, सीमा अधिनियम की धारा 14 की अन्य आवश्यकताओं में से कोई भी पूरी नहीं होती है। मूल आवश्यकता, कि पहले और बाद की कार्यवाही में मुद्दा होना चाहिए समान होना; और दोनों कार्यवाही, पहले और बाद में, कार्रवाई के एक ही कारण से संबंधित होनी चाहिए और एक ही राहत के लिए, [2019] 11 एस. सी. आर. है।

पूरी तरह से गायब। बल्कि, पूर्ववर्ती कार्यवाही में जारी किए गए मामले को वर्तमान वाद में जारी किए गए मामले से अलग किया जा सकता है। उक्त पूर्ववर्ती कार्यवाही में, वादी-अपीलकर्ता मठ के साथ यह दावा करने के लिए शामिल हुआ कि प्रत्यर्थी राज्य विचाराधीन भूमि को इससे बाहर करने का हकदार नहीं था।

और यह कि राज्य को भूमि लेनी चाहिए और अपने कुछ अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित मुआवजे का भुगतान करना चाहिए। जिस पर दूसरी ओर, वर्तमान वाद में दावा इस आधार पर स्थापित किया गया है कि वादी को 1972 के अधिनियम के तहत कार्यवाही के कारण और फिर, अधिग्रहण से विषय भूमि के अपवर्जन के कारण नुकसान हुआ है। वर्तमान वाद में दावा की गई राहत और यहाँ जारी किए गए मामले को वही नहीं कहा जा सकता है जो पहले की कार्यवाही में जारी किया गया था, अर्थात दिनांक 19.11.1993 के बहिष्करण आदेश के खिलाफ उक्त रिट याचिका। इसके अलावा कि

पूर्ववर्ती कार्यवाही अर्थात, उक्त रिट याचिका दिनांकित बहिष्करण आदेश को निरस्त करने के लिए एक अलग राहत के लिए थी, यह भी उचित है कि उक्त रिट याचिका योग्यता के आधार पर खारिज की गई थी न कि अधिकारिता के अभाव में। इस मामले में सीमा अधिनियम की धारा 14 के लागू होने को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। [पैरा 21.5] [551-डी-एच; 552-ए]

थिरू जॉन बनाम। निर्वाचन अधिकारी और अन्य। (1977) 3 एस. सी. सी. 540 [1977] 3 एस. सी. आर. 538; सुशील कुमार बनाम राकेश कुमार (2003) 8 एससीसी 673: [2003] 4 पूरक। एस. सी. आर. 802; स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम। आंध्र बैंक फाइनेंशियल

सर्विसेज लिमिटेड और अन्य। (2006) 6 एससीसी 94: [2006] 2 पूरक। एस. सी. आर. 1; भारत संघ बनाम। एलआर द्वारा हरि कृष्ण खोसला (मृत)। (1993) पूरक (2) एस. सी. सी. 149: [1992] 1 पूरक। एससीआर 620; कस्तूरी लाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1965 एस. सी.

1039 : [1965] एस. सी. आर. 375; एन. नागेंद्र राव एंड कंपनी बनाम ए. पी. राज्य (1994) 6 एस. सी. सी. 205: [1994] 3 पूरक। एस. सी. आर. 144; भारत संघ बनाम। संचेती फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड (2015) 15 एस. सी. सी. 447; रामेश्वर लाल बनाम नगर परिषद, टोंक और अन्य। (1996) 6 एससीसी 100: [1996] 5 पूरक। एस. सी. आर. 227; भारत संघ बनाम। श्रिंग कंस्ट्रक्शन कं. (पी) लिमिटेड (2006) 8 एससीसी 18: [2006] 7 पूरक। एससीआर 273; ए. पी. बनाम राज्य चल्ला रामकृष्ण रेड्डी और अन्य। (2000) 5 एससीसी 712: [2000] 3 एस. सी. आर. 644- संदर्भित।

मेसर्स नेटेसन एजेंसीज (प्लैन्टेशंस) v. राज्य प्रतिनिधि। एस. ई. सी. सरकार द्वारा। पर्यावरण और वन विभाग।

यशवंत देवराव बनाम। वालचंद रामचंद आकाशवाणी 1951 एससी 16 [1950] एससीआर 852; माधवराव नारायणराव

पटवर्धन बनाम. रामकृष्ण गोविंद भानू और अन्य। एयर

1958 एससी 767: [1959] एस. सी. आर. 564; जफर खान और अन्य।

वी. राजस्व बोर्ड, यू. पी. और अन्य। 1984 (सप) एस. सी. सी.

505 [1985] एस. सी. आर. 287-निर्भर।

काशीनाथ शंकरप्पा बनाम। नया अकोट कपास

जिनिंग एंड प्रेसिंग कंपनी लिमिटेड ए. आई. आर. 1951 नागपुर 255

स्वीकृत किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1977] 3 एससीआर 538

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9

[2003] 4 पूरक। एससीआर 802

पै

रा 9

संदर्भित किया गया है

[2006] 2 पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9

[1992] 1 पूरक। एससीआर 620

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9.1

[1965] एससीआर 375

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9.3

[1994] 3 पूरक। एससीआर 144

पै

रा 9.3

संदर्भित किया गया है

(2015) 15 एस. सी. सी. 447

पै

रा 9.3

संदर्भित किया गया है

[1996] 5 पूरक। एससीआर 227

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9.4

[2006] 7 पूरक। एससीआर 273

पै

रा 9.4

संदर्भित किया गया है

[2000] 3 एससीआर 644

पै

रा 9.4

संदर्भित किया गया है

[1950] एससीआर 852

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10.3

[1959] एससीआर 564

उस पर भरोसा करें

पै

रा 21.4।

[1985] एससीआर 287

उस पर भरोसा करें

पै

रा 21.4। 2

आकाशवाणी 1951 नागपुर 255

मंजूरी मिल गई।

पै

रा 21.4।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 539

2010 से।

उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय दिनांक 26.02.2007 से

2002 के ओ. एस. ए. No.193 और ओ. एस. ए. No.178 2003 में मद्रास में न्यायपालिका।

ए. के. गांगुली, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री बरनाली बसाक, वी. रामसुब्रमण्य

एम. मुनुसामी, सुश्री एल. माहेश्वरी, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

9] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के. राम मूर्ति, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एम. योगेश कन्ना, एस. पार्थ सारथी, एस. राजा राजेश्वरन, पुश्किन राजकुमार, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

परिचय

1. विशेष अनुमति द्वारा इस अपील में, वादी-अपीलार्थी, जिसे एक साझेदारी फर्म कहा जाता है, ने सामान्य निर्णय पर सवाल उठाया है और

ओ. एस. ए. सं. में दिनांकित डिक्री 26.02.2007। 193 2002 का और 2003 का 178 (2006 का सी. एम. पी. सं. 8947 के साथ) जिसके द्वारा मद्रास में उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने प्रतिवादी-राज्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए और वादी अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए, 1998 के सी. एस. सं. 561 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 1 के निर्णय और डिक्री को उलट दिया है। और नुकसान की वसूली के लिए अपीलार्थी के मुकदमे को खारिज कर दिया है।

1.1 . हर्जाने की वसूली के लिए उपरोक्त मुकदमे से उत्पन्न होने वाले इस मामले का अपना एक विशिष्ट और उतार-चढ़ाव वाला इतिहास है, जिसमें

कई निर्विवाद वास्तविक तथ्यों, कुछ विवादित तथ्यों और विभिन्न दौर के मुकदमों का वर्गीकरण। विषय वस्तु की एक संक्षिप्त रूपरेखा में, यह देखा जा सकता है कि वादी-अपीलार्थी ने कथित रूप से अपने मालिक श्री नानामामलाई जीर मठ, नंगुनेरी 2 से वृक्षारोपण और सह-संबंधित उद्देश्यों के लिए भूमि 1 के कुछ हिस्से पट्टे पर लिए थे (शुरू में वर्षों में 5 साल की अवधि के लिए और बाद में वर्षों में 25 साल की अवधि के लिए)। वादी-अपीलार्थी का मामला यह रहा है कि तमिल सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना दिनांक 06.03.1976 के आधार पर

नाडू, विचाराधीन भूमि को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 3 और कई के तहत एक वन्यजीव अभयारण्य में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था।

मुआवजे के पुरस्कार के प्रस्तावों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया गया था, जो उच्च न्यायालय के आदेश के तहत भी थे।

अदालत जल्द से जल्द मुआवजे के फैसले को अंतिम रूप देगी। वादी-अपीलार्थी की शिकायत रही है कि एक ओर, अधिग्रहण के प्रस्ताव के कारण विचाराधीन भूमि का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई थी

1 जिसमें क्षेत्र संख्या शामिल है। 805/1 , 805/3 , 805/4 , 806 , 807,808 & 809 मलयादिपुदुर गाँव (नंगुनेरी तालुक, तिरुनेलवेली जिला) में कालक्काडु गाँव और क्षेत्र संख्या 495 में, सभी व्यापक 197.36 एकड़ में-जिसे इसके बाद 'विचाराधीन भूमि' या 'विषय भूमि' के रूप में संदर्भित किया जाता है। 2 इसके बाद 'मठ' के रूप में संदर्भित किया जाता है। 3 इसके बाद 'अधिनियम' या '1972 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित।

मेसर्स नेटेसन एजेंसीज (प्लैन्टेशंस) v. राज्य प्रतिनिधि। एस. ई. सी. द्वारा। सरकार के लिए। पर्यावरण और वन विभाग। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

विचाराधीन अधिसूचना। डिवीजन बेंच ने हालांकि, रिट याचिकाकर्ताओं के लिए यह खुला छोड़ दिया कि वे मात्रा निर्धारित करने के लिए उचित नागरिक कार्रवाई करें और यह भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई के उद्देश्य के लिए, रिट याचिकाकर्ताओं के लिए 'के प्रावधानों पर भरोसा करने के लिए खुला था

उस अवधि को हटाने के लिए सीमा अधिनियम जिसके दौरान वे इस न्यायालय में मामले पर मुकदमा चला रहे थे। इसके बाद, वादी-अपीलार्थी ने प्रतिवादी-प्रतिवादी के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया, जिसमें एक लाख रुपये तक के नुकसान की वसूली की मांग की गई। 1,31,95,000 / - प्रति वर्ष 18 प्रतिशत ब्याज के साथ, अधिग्रहण के प्रस्ताव पर विचाराधीन भूमि के उपयोग से कथित रूप से वंचित होने के लिए। उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 1 के निर्णय और डिक्री के माध्यम से वादी को रुपये की राशि का हकदार ठहराते हुए आंशिक रूप से मुकदमे का फैसला सुनाया। 86,88,000 / - मुकदमे की तारीख से वसूली तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ। हालाँकि, प्रतिवादी-राज्य द्वारा दायर अपील में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने वादी को किसी भी नुकसान के अधिनिर्णय के लिए कोई मामला नहीं पाया और अपने विवादित निर्णय और दिनांक 26.02.2007 के डिक्री द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश के डिक्री को उलट दिया और मुकदमे को खारिज कर दिया। इसलिए, वादी-अपीलार्थी ने इस अपील को प्राथमिकता दी है।

प्रासंगिक पृष्ठभूमि और तथ्यात्मक मैट्रिक्स

2. मामले की प्रासंगिक पृष्ठभूमि और तथ्यात्मक पहलुओं को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:

2.1 . अपीलार्थी, एक साझेदारी फर्म, ने अपने मालिक, मठ से पट्टे पर 197.36 एकड़ जमीन ली थी।

चाय, कॉफी जैसी वाणिज्यिक फसलों की खेती का उद्देश्य और

कुल उपलब्ध भूमि के 80 एकड़ से अधिक में इलायची। अपीलार्थी ने आरोप लगाया है कि विचाराधीन भूमि 15.11.1971 लेकिन [2019] 11 एस. सी. आर. पर पट्टे पर दी गई थी।

उस संबंध में पंजीकृत पट्टा विलेख मठ द्वारा 01.07.1972 पर 5 साल की अवधि के लिए अर्थात् 01.07.1972 से 30.06.1977 तक निष्पादित किया गया था।

2.2 . G.O.Ms द्वारा। 1972 के अधिनियम की धारा 18 (1) के तहत जारी संख्या 183 दिनांक 06.03.1976, तमिलनाडु सरकार ने कालक्काडु को अधिसूचित करने के लिए मुख्य वन संरक्षक के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी। संरक्षण के लिए एक अभयारण्य के रूप में तिरुनेलवेली जिले में आरक्षित वन

और उसमें वन्यजीवों का विकास। इसमें कथित रूप से अपीलार्थी को पट्टे पर दी गई उपरोक्त 197.36 एकड़ भूमि शामिल थी।

2.3 . 23.03.1975 और 17.09.1976 पर, अपीलार्थी ने आवेदन किया

उक्त 197.36 एकड़ में से 10 एकड़ भूमि में पेड़ों की कटाई, लेकिन पहले से ही वृक्षारोपण के तहत 80 एकड़ को छोड़कर। हालाँकि, जिला कलेक्टर ने अपने दिनांक 16.11.1976 के संचार द्वारा अपीलार्थी को इस आधार पर ऐसी अनुमति देने से इनकार कर दिया कि विचाराधीन भूमि का वन्यजीव अभयारण्य के उद्देश्य से उक्त अधिसूचना के तहत सीमांकन किया गया था; और पेड़ों की कटाई से इलाके में मिट्टी संरक्षण और नमी संरक्षण के उपाय प्रभावित हो सकते हैं।

2.4 . इसके बाद, 1972 के अधिनियम की धारा 21 के तहत जिला कलेक्टर ने अभयारण्य की सीमाओं को निर्दिष्ट करते हुए एक घोषणा जारी की और वन्यजीव संरक्षण (तमिलनाडु) नियम, 19754 के तहत फॉर्म संख्या 8 में दावा दायर करने का कोई भी अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अपीलार्थी प्रस्तुत करेगा कि विचाराधीन भूमि दिनांक 14.07.1977 की इस घोषणा में शामिल नहीं थी। 2.5 . अपीलार्थी आगे यह प्रस्तुत करेगा कि जब विचाराधीन भूमि को दिनांक 3 की इस घोषणा में शामिल नहीं किया गया था और दिनांक 1 की उपरोक्त पट्टा विलेख के तहत पट्टा अवधि 2 को समाप्त हो गई थी, तो मठ से बागान को बेहतर तरीके से विकसित करने के लिए अपीलार्थी के पक्ष में एक दीर्घकालिक पट्टा निष्पादित करने का अनुरोध किया गया था। अपीलार्थी के अनुसार, 20.03.1978 पर, मठ ने आयुक्त, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती की अनुमति प्राप्त करने और जिला कलेक्टर के साथ परामर्श करने के बाद 25 साल की अवधि (01.07.1977 से 30.06.2002 तक) के लिए अपने पक्ष में विचाराधीन भूमि का एक नया दीर्घकालिक पट्टा प्रदान किया। हम इसके बाद उक्त आयुक्त की कथित अनुमति से संबंधित प्रश्न का उल्लेख करेंगे -

थोड़ी देर बाद।

2.6 . तथ्यात्मक मैट्रिक्स को जारी रखते हुए, यह देखा गया है कि 28.08.1978 पर, कलेक्टर ने धारा 21 के तहत एक और घोषणा जारी की

इसके बाद '1975 के नियम' के रूप में संदर्भित मेसर्स नेटेसन एजेंसीज (प्लैन्टेशंस) v.

राज्य प्रतिनिधि। एस. ई. सी. द्वारा। सरकार के लिए। पर्यावरण और वन विभाग। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

आच्छादित भूमि में या उस पर किसी भी अधिकार का दावा करने वाले व्यक्तियों को बुलाना इसके तहत 1975 के नियमों के तहत दो महीने के भीतर लिखित दावा करना। 31.08.1978 पर, कलेक्टर ने तमिल भाषा में वही घोषणा जारी की, साथ ही यह भी कहा कि 14.07.1977 की पिछली अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था। अपीलार्थी के अनुसार, विचाराधीन भूमि को केवल इनके तहत प्रस्तावित अभयारण्य के भीतर शामिल किया गया था।

2.7 . उपरोक्त अधिसूचनाओं के बाद, विभिन्न कार्यवाहियों और संचार का आदान-प्रदान हुआ, जहां एक ओर अपीलार्थी और मठ ने विषय भूमि को बाहर करने के लिए कई प्रयास किए प्रस्तावित अभयारण्य से और दूसरी ओर, 24.06.1984 पर, अपीलार्थी ने 1975 के नियमों के तहत प्रपत्र संख्या 8 में दावे के साथ पुरस्कार जांच में एक लिखित बयान दायर किया, जिसमें मुआवजे का दावा किया गया था

रु. की धुन। 41,36,866 / - . संबंधित अधिकारियों ने मुआवजे की राशि के आकलन के उद्देश्य से विभिन्न अंतर-विभागीय संचार का भी आदान-प्रदान किया। ये सभी कार्यवाहियाँ और यहाँ संचारों को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह ध्यान दिया जा सकता है कि 01.08.1985 पर, कलेक्टर ने अपीलार्थी द्वारा विचाराधीन भूमि में कार्डमम एस्टेट के पंजीकरण के लिए दायर एक आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि भूमि का अधिग्रहण वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना के उद्देश्य से किया जाना था। इसके बाद, 23.03.1990 पर, कलेक्टर ने एक

विशेष आयुक्त और भूमि प्रशासन आयुक्त को सूचित किया गया कि मठ से संबंधित भूमि के लिए मुआवजे और ब्याज का अनुमान लगाया गया था

रु. 72,98,661 / - . 03.12.1990 पर, उक्त विशेष आयुक्त ने कुल अनुमानित मुआवजे को घटाकर रु। 65,06,453 / - और सरकार से वर्तमान मामले में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 18945 के प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करने के संबंध में उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया। इसके अलावा, आई. डी. 1 पर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने संबंधित भूमि के संबंध में दिए जाने वाले अधिनिर्णय के संबंध में ब्याज की अपेक्षित देयता के बारे में सरकार के संबंधित सचिव को सूचित किया।

2.8 . जबकि उपरोक्त कार्यवाही लंबित रही लेकिन कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था, मठ ने प्रस्ताव को चुनौती देने का फैसला किया

उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका (1991 का डब्ल्यू. पी. संख्या 685) के माध्यम से विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण। वर्तमान अपीलार्थी को नियुक्त किया गया था

5 इसके बाद '1894 का अधिनियम' [2019] 11 एस. सी. आर. के रूप में संदर्भित किया गया।

उस रिट याचिका में चौथे प्रतिवादी के रूप में। प्रत्यर्थी-राज्य ने अन्य बातों के साथ-साथ उक्त रिट याचिका में अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि 'राज्य सरकार ने ऐसा करने की आवश्यकता पर अपना दिमाग लगाया था।

उक्त अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रकाशन और पाया कि यह वैध था और 1972 के केंद्रीय अधिनियम 53 की धारा 18 के तहत विचाराधीन प्रकाशन को प्रभावित किया था; और यह कि 'याचिकाकर्ता की भूमि को अभयारण्य की सीमाओं से बाहर करना संभव नहीं था। यह अभयारण्य बनाने के उद्देश्य को ही विफल कर देगा।

2.9 . हालाँकि, मठ द्वारा दायर उक्त रिट याचिका को उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 13.07.1991 पर खारिज कर दिया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ,

इन टिप्पणियों के साथ कि 1894 के अधिनियम की धारा 11-ए प्रश्नगत कार्यवाहियों पर लागू नहीं होती है और यदि एक भ्रामक मुआवजा दिया गया था, तो रिट याचिकाकर्ता को इसे चुनौती देने का अधिकार होगा। मठ ने एक अंतर-अदालत अपील को भी प्राथमिकता दी, लेकिन 20.01.1992 पर, कलेक्टर को मुआवजे का पुरस्कार देने के लिए कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश के साथ डिवीजन बेंच द्वारा इसे वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया।

कॉफी, इलायची और चाय के बागान; Rs.96, इलायची के प्रत्याशित विकास के लिए 00,000/- और अन्य रु। 96,400 / - लागत की ओर निर्मित इमारत। अपीलार्थी ने अधिसूचना की तारीख से पुरस्कार की तारीख तक 30 प्रतिशत मुआवजे और 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज और मुआवजे की कुल राशि पर भविष्य में 15 प्रतिशत ब्याज का भी दावा किया।

2.11 . 16.04.1992 पर, पुरस्कार की कार्यवाही पूरी हो गई और जिला राजस्व अधिकारी द्वारा एक मसौदा पुरस्कार भेजा गया।

विशेष आयुक्त। हालाँकि, चूंकि प्रत्यर्थी ने पुरस्कार देने के लिए आगे कदम नहीं उठाए, इसलिए एक अन्य रिट याचिका, जो 1993 की डब्ल्यू. पी. संख्या 6931 थी, को मठ और अपीलार्थी द्वारा संयुक्त रूप से पसंद किया गया था, जिसमें पुरस्कार जल्द से जल्द देने के लिए निर्देश मांगे गए थे। इस रिट याचिका का निपटारा उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 11.08.1993 पर मैसर्स नेटेसन एजेंसीज (प्लैन्टेशंस) v के साथ किया गया था।

राज्य प्रतिनिधि। एस. ई. सी. द्वारा। सरकार के लिए। पर्यावरण और वन विभाग। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

आदेश की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह के भीतर पुरस्कार देने के लिए निर्देश। 2.12 . उपरोक्त आदेश दिनांक 11.08.1993 को पारित करने के बाद, जब संबंधित अधिकारियों द्वारा मामले पर कार्रवाई की जा रही थी, तो प्रमुख ने

वन संरक्षक (डब्ल्यू. एल.) और मुख्य वन्यजीव वार्डन ने <आई. डी. 1 पर सुझाव दिया कि विचाराधीन भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण को भारी लागत को देखते हुए रद्द किया जा सकता है और विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण आवश्यक नहीं है। इन तथ्यों के संदर्भ में, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी की ओर से एक आवेदन दायर किया गया था

21.09.1993 , आयुक्त, भूमि प्रशासन को कलेक्टर को उपयुक्त निर्देश जारी करने में सक्षम बनाने के लिए छह सप्ताह का और समय मांगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के एक आवेदन पर, उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 26.10.1993 के आदेश द्वारा, पुरस्कार देने के लिए समय बढ़ाया। 2.13 . इसके बाद, आई. डी. 1 पर, तिरुनेलवेली के कलेक्टर ने 1972 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (2) के खंड (ए) के तहत शक्तियों के कथित आह्वान में, विचाराधीन भूमि को वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं से बाहर रखा। इस आदेश का प्रभाव प्रस्तावित अधिग्रहण से विचाराधीन भूमि को मुक्त करने और इस तरह मुआवजे का पुरस्कार देने की आवश्यकता को समाप्त करने पर पड़ा।

2.14 . उपरोक्त आदेश दिनांक 19.11.1993, जैसा कि द्वारा जारी किया गया

तिरुनेलवेली के कलेक्टर इस मामले में विवाद की जड़ रहे थे। अपीलार्थी के अनुसार, कलेक्टर ने पहले विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया था, मुआवजे का भुगतान करने की आवश्यकता थी; और अधिकारियों ने कलेक्टर को केवल उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करने के लिए उक्त आदेश दिनांक 19.11.1993 जारी करने का निर्देश दिया। अपीलार्थी ने विशेष रूप से वन विभाग के उप सचिव द्वारा विशेष आयुक्त को लिखे गए पत्र का उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावित वन्यजीव अभयारण्य भूमि अधिग्रहण और इस अधिग्रहण की अत्यधिक लागत को पूरा नहीं कर सका 6 विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांकित 11.08.1993 आदेश में इस प्रकार निर्देश दिया: इसलिए मैं सक्षम प्राधिकारी को निर्देश देता हूं। , विशेष आयुक्त और भूमि प्रशासन के लिए आयुक्त कलेक्टर कार्यालय के संदर्भ के2/1498/83 दिनांक 20.6.1990 और 12.9.1990 में भेजे गए मूल्यांकन प्रस्तावों पर विचार करेंगे और विशेष प्रशासन द्वारा अनुमोदित और दूसरे याचिकाकर्ता के उचित अभ्यावेदन दिनांक 10.7.92 और पहले याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन दिनांक 19.10.1992 और पहले याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन, यदि कोई हो, और इसमें दूसरे प्रतिवादी, जिला कलेक्टर तिरुनेलवेली के प्रस्ताव पर विचार करेंगे और इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह के भीतर उचित आदेश पारित करेंगे।

अदालत से। "[2019] 11 एस. सी. आर.

प्राथमिकता पर इसकी आवश्यकता नहीं थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 12.11.1993 के इस संचार के अनुसरण में, विशेष आयुक्त ने 1972 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (2) के खंड (ए) के तहत प्रस्तावित अभयारण्य की सीमाओं से विचाराधीन भूमि को बाहर करने के लिए कलेक्टर, तिरुनेलवेली को दिनांकित 17.11.1993 का पत्र भेजा; और इस प्रकार कलेक्टर ने दिनांकित 19.11.1993 का प्रश्नगत आदेश जारी किया।

2.15 . उक्त आदेश दिनांक 19.11.1993 को संयुक्त रूप से चुनौती दी गई थी

मठ और उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका के माध्यम से अपीलार्थी, जो 1993 का डब्ल्यू. पी. सं. 21721 है। वर्तमान अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय द्वारा पहले पारित आदेशों की अवज्ञा की शिकायत करते हुए एक अवमानना याचिका (1994 का सं. 340) भी दायर की। 13.09.1995 पर, उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और उक्त आदेश दिनांक 19.11.1993 को रद्द कर दिया; और संबंधित अधिकारियों को अवमानना का दोषी भी ठहराया और 50000 रुपये का जुर्माना लगाया। 1,000 / - उनमें से प्रत्येक पर। तथापि, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस प्रकार पारित आदेश पर प्रतिवादी राज्य द्वारा 1995 की डब्ल्यू. ए. सं. 1041 के रूप में एक अंतर-न्यायालय अपील के माध्यम से सवाल उठाया गया था, जिसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपने निर्णय द्वारा अनुमति दी थी। दिनांक 18.09.1997 लेकिन प्रत्यर्थी के खिलाफ कई टिप्पणियों और टिप्पणियों के साथ-राज्य और रिट याचिकाकर्ताओं के लिए हर्जाने की वसूली के लिए दीवानी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए इसे खुला छोड़ते हुए।

2.16 . डिवीजन बेंच द्वारा अपने दिनांकित 18.09.1997 के फैसले में की गई टिप्पणियों ने अपीलार्थी द्वारा दीवानी मुकदमे में किए गए दावे का आधार बनाया है जिससे यह अपील की जा सकती है। इस अपील की विषय वस्तु और इसमें शामिल प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक विवरणों में दिनांकित निर्णय में टिप्पणियों और निष्कर्षों पर ध्यान देना उचित होगा।

2.16. 1 . अपने दिनांक 18.09.1997 के फैसले में, डिवीजन बेंच ने पहले स्थान पर कहा कि जब कलेक्टर पहले ही ले चुका था

विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण करने और मुआवजे का भुगतान करने का निर्णय, 1972 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (2) के खंड (ए) के तहत शक्ति का प्रयोग करने का कोई अवसर नहीं था। डिवीजन बेंच ने सरकारी प्लीडर के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि

कार्यवाही को 1894 के अधिनियम की धारा 48 के संदर्भ में बनाए रखा जा सकता है। फिर भी, खंड पीठ का विचार था कि सामान्य खंड अधिनियम, 18977 की धारा 21 लागू थी और इसे सरकार द्वारा लागू किया जा सकता था। हालांकि, इस संबंध में भी, डिवीजन बेंच

7 इसके बाद 'सामान्य खंड अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

मेसर्स नेटेसन एजेंसीज (प्लैन्टेशंस) v. राज्य प्रतिनिधि। एस. ई. सी. द्वारा। सरकार के लिए। पर्यावरण और वन विभाग। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

यह पाया गया कि सरकार के अधिकारियों की पूरी कार्रवाई, विचाराधीन परियोजना की कल्पना करने से लेकर अंतिम चरण में पीछे हटने तक, विचारहीन, आकस्मिक और अव्यवहारिक थी।

2.16. 2 . इस तरह की टिप्पणी करते हुए भी कि आक्षेपित कार्य

उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता और मठ को अधिग्रहण की कार्यवाही को पूरा करने और परियोजना को एक अभयारण्य के रूप में आगे बढ़ाने के लिए सरकार पर जोर देने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह की टिप्पणियों और टिप्पणियों के बाद, खंड पीठ ने अधिसूचना से हटने की सरकार की शक्ति को स्वीकार किया और कहा -

1894 के अधिनियम के तहत एक पुरस्कार को अस्वीकार करें। हालांकि, डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि मठ और अपीलकर्ता के पास हर्जाने का दावा करने के लिए एक वैध मामला था, लेकिन इस संबंध में, हर्जाने का सामना करना पड़ा

न्यायालय में साबित करना होगा। इस प्रकार, मठ और अपीलार्थी के लिए नुकसान की मात्रा निर्धारित करने के लिए उचित नागरिक कार्रवाई करने के लिए खुला छोड़ दिया गया था। डिवीजन बेंच ने उनके लिए उस अवधि को हटाने की मांग करने के लिए भी खुला छोड़ दिया, जिसके दौरान वे उच्च न्यायालय में मामले पर मुकदमा चला रहे थे। 8

2.16. 3 . उपरोक्त टिप्पणियों और निष्कर्षों के साथ,

उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि 8 उच्च न्यायालय की खंड पीठ की ये टिप्पणियां इस प्रकार थीं: - 20. हम यह नहीं कहना चाहते कि सरकार बेदाग है। दूसरी ओर, सरकार ने धारा 18 के तहत अधिसूचना के चरण और अधिसूचना से वापस लेने के चरण, दोनों में ही बिना सोचे समझे काम किया था। सरकार को अपनी कार्रवाई के परिणाम भुगतने होंगे, दोनों धारा 18 के तहत घोषणा जारी करने और पुरस्कार पारित करने में अत्यधिक देरी करने और अंततः अधिसूचना से वापस लेने के लिए। लेकिन सरकार के कृत्यों और चूक के कारण उत्तरदाताओं को हुए नुकसान को अदालत में साबित करना होगा। प्रत्यर्थियों को इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके कृत्यों और चूक के लिए सरकार के खिलाफ एक वैध मामला है। सवाल यह है कि उत्तरदाताओं का वास्तविक उपाय क्या है। मैक्सिम यू. बी. आई. जस आई. बी. रेमेडियम (जहां एक अधिकार है, एक उपाय है), इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होता है। लेकिन, हम केवल यह इंगित कर रहे हैं कि उत्तरदाताओं का उपाय कहीं और है। उन्हें अधिग्रहण की कार्यवाही को पूरा करने और परियोजना को एक अभयारण्य के रूप में आगे बढ़ाने के लिए सरकार पर जोर देने का कोई अधिकार नहीं है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, हम अधिसूचना से हटने की सरकार की शक्ति को स्वीकार करते हैं और

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत एक पुरस्कार पारित करने से इनकार करना। हम प्रत्यर्थियों के लिए यह खुला रखते हैं कि वे अपने नुकसान की मात्रा निर्धारित करने के लिए उचित नागरिक कार्रवाई करें और इस उद्देश्य के लिए, यह निश्चित रूप से उनके लिए खुला है कि वे उस अवधि

को छोड़कर सीमा अधिनियम के प्रावधानों पर भरोसा करें जिसके दौरान वे इस न्यायालय में मामले पर मुकदमा चला रहे थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रस्तावित अभयारण्य की सीमाओं से विचाराधीन भूमि को बाहर करना सरकार के लिए सामान्य खंडों की धारा 21 के आधार पर टिकाऊ था। अधिनियम और, अपील की अनुमति देते हुए, रिट याचिका को खारिज करने के लिए आगे बढ़े, जबकि इसे रिट याचिकाकर्ताओं के लिए खुला छोड़ दिया, जिसमें वर्तमान भी शामिल है।

अपीलार्थी, उपयुक्त मंच पर अपने अधिकारों का आंदोलन करने के लिए। इस निर्णय को देखते हुए अवमानना की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया।

2.17 . पृष्ठभूमि के इतिहास को पूरा करने के लिए, यह हो सकता है

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल वर्तमान अपीलार्थी ने दिनांक 18.09.1997 के उक्त निर्णय के खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए एक याचिका को प्राथमिकता दी, जिसे 23.02.1998 पर सीमित रूप से खारिज कर दिया गया था।

2.18 . बर्खास्तगी के साथ उपरोक्त मुकदमे के समापन के बाद ही

इस न्यायालय द्वारा 23.02.1998 पर अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका कि अपीलार्थी ने हर्जाने की वसूली के लिए दीवानी न्यायालय में कार्रवाई की।

2.19 . कार्रवाई से संबंधित तथ्यों और घटनाओं को विस्तार से बताने से पहले

नुकसान की वसूली के लिए, पिछले पैराग्राफ में देखे गए भौतिक तथ्यों और विशेषताओं को संक्षेप में प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा। एक नट खोल में डालें, पदार्थ का योग और सार यह है कि विचाराधीन भूमि,

9 9 डिवीजन बेंच ने इस मामले पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला: - " 23 ..... हम सरकार के पत्र का अर्थ पत्र सं. सुश्री सं. 377 ई. डी. एफ. दिनांक आई. डी. 2 और आर. ओ. सी. सं. 34854/92 दिनांक आई. डी. 1 में विशेष आयुक्त और भूमि प्रशासन आयुक्त के परिणामी आदेश में अभयारण्य में प्रत्यर्थियों की भूमि को शामिल करने और उक्त भूमि के परिणामी अधिग्रहण से पीछे हटने के सरकार के निर्णय का गठन किया गया है। हम अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं

भारत के संविधान का अनुच्छेद 226

यह मानते हुए कि उपरोक्त दो पत्रों में, सरकार ने अधिसूचना और परिणामी अधिग्रहण से पीछे हटने का एक स्पष्ट निर्णय लिया था। इसलिए, हम किसी भी उद्देश्य के लिए कलेक्टर का दिनांक 19.11.1993 का आदेश लेने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, क्योंकि यह केवल सरकार के निर्देशों का पालन करता है। चूंकि अधिसूचना और घोषणा राज्य सरकार द्वारा असंशोधित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत जारी की गई थी, इसलिए यह सरकार और

अकेले सरकार जो रद्द कर सकती है

या सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के तहत शक्ति का उपयोग करके अधिसूचना को संशोधित करें। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, हम प्रत्यर्थियों की 197.36 एकड़ भूमि और 148.55 एकड़ की एक अन्य सीमा को प्रस्तावित अभयारण्य की सीमा से बाहर करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखते हैं। पूरी तरह से और सरकार की शक्तियों के भीतर। नतीजतन, 1993 के डब्ल्यू. पी. संख्या 21721 में मांगी गई प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और रिट याचिका खारिज हो जाएगी। याचिका यह है कि

उपरोक्त तरीके से अनुमति दी गई, उत्तरदाताओं के लिए एक उपयुक्त मंच पर अपने अधिकारों का आंदोलन करने के लिए इसे खुला छोड़ दिया गया। 1995 की अवमानना अपील संख्या 6 की भी अनुमति है।

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

" } मेसर्स नेटेसन एजेंसीज (प्लैन्टेशंस) v. राज्य प्रतिनिधि। एस. ई. सी. द्वारा। सरकार के लिए। पर्यावरण और वन विभाग। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

कहा जाता है कि वादी-अपीलार्थी द्वारा मठ से पट्टे पर लिया गया था, दिनांकित अधिसूचना के आधार पर वन्यजीव अभयारण्य में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था; और मठ और अपीलार्थी की ओर से विचाराधीन भूमि को अभयारण्य से बाहर रखने के प्रयास सफल नहीं हुए। यद्यपि विषय भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजे के पुरस्कार से संबंधित मामले पर संबंधित अधिकारियों द्वारा विचार किया गया था, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा जल्द से जल्द पुरस्कार को अंतिम रूप देने का भी निर्देश दिया गया था, लेकिन कोई पुरस्कार देने के बजाय,

कलेक्टर ने दिनांक 19.11.1993 का आदेश जारी किया, जिसमें विचाराधीन भूमि को वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से बाहर कर दिया गया। मठ और अपीलार्थी ने अब वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से विषय भूमि के इस तरह के बहिष्कार के प्रस्ताव से व्यथित महसूस किया और फिर से उच्च न्यायालय से संपर्क किया।

उक्त आदेश दिनांक 19.11.1993 के खिलाफ रिट याचिका के माध्यम से न्यायालय। 13.09.1995 पर, उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने मठ और अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को मंजूरी दे दी। हालाँकि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपने दिनांक 18.09.1997 के फैसले में मंजूरी नहीं दी।

विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा इस प्रकार पारित आदेश और रिट याचिका को खारिज करते हुए मठ और अपीलार्थी के लिए हर्जाने के लिए अपने दावे में उपयुक्त मंच से संपर्क करने के लिए खुला छोड़ दिया।

नुकसान की वसूली के लिए दीवानी मुकदमा

3. यद्यपि उपरोक्त आदेश दिनांक आई. डी. 2 को निरस्त कराने के अपने प्रयास में विफल रहा, लेकिन उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिनांक आई. डी. 1 के अपने फैसले में की गई टिप्पणियों और दी गई स्वतंत्रता के संदर्भ में, अपीलार्थी ने प्रतिवादी-राज्य से हर्जाने का दावा करने के लिए कार्रवाई की। इस संबंध में, अपीलार्थी ने 01.03.1998 पर सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत एक नोटिस दिया, जिसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इसलिए, अपीलार्थी ने 08.06.1998 पर नुकसान की वसूली के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया। दीवानी मुक़दमा ऊपर उल्लिखित तथ्यों और इस आधार पर स्थापित किया गया था कि वर्ष 1976 में शुरू होने वाली कार्यवाही के पहले दिन से और वर्ष 1993 में इसे हटाए जाने तक, अपीलार्थी को विचाराधीन भूमि का उपयोग करने से रोक दिया गया था; और यह कि वर्ष 1993 से उच्च न्यायालय में मुकदमेबाजी के लंबित होने के कारण और 18.09.1997 तक, अपीलार्थी हर्जाने के लिए मुक़दमा दायर नहीं कर सकता था। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा निर्दिष्ट अधिकारों और दी गई स्वतंत्रता को देखते हुए, मुकदमा बनाए रखने योग्य था और सीमा द्वारा वर्जित नहीं था।

3.1 . जहां तक नुकसान के उपाय और मात्रा का संबंध है, अपीलार्थी ने रुपये की आय के कथित नुकसान का उल्लेख किया।

उसी भूमि के लिए पुरस्कार जांच में मूल्यांकन के आधार पर वर्ष निर्धारित किया गया। अपीलार्थी ने 18 प्रतिशत की दर से ब्याज का भी दावा किया।

प्रति वर्ष और फिर भी पुनः रोपण और पालन संचालन की लागत के साथ-साथ 3 साल की अवधि के लिए लाभ के नुकसान का भी दावा किया जो फसलों को फल देने के लिए लिए जाने की संभावना थी। अपीलार्थी ने 06.03.1976 और हानि के अन्य घटकों से 22 वर्षों के लिए कमाई के कुल नुकसान का दावा निम्नानुसार किया: -

रु.

" ((a) 22 वर्षों के लिए कुल हानि

(रु. 2. 31 लाख x 22 वर्ष)

50.8

2 लाखों

(ख) आय की हानि पर ब्याज

22 वर्षों

70.1

3 लाखों

(ग) पुनः रोपण और पालन की लागत

3 साल के लिए संचालन @Rs.5000 /

7 लाख एकड़ के लिए प्रति एकड़ (सीमित)

(घ) कारखाने/कार्यालय और श्रम की मरम्मत

उपयोग के लिए उपयुक्त बनाने के लिए शेड (तक सीमित)

1.00

लाखों

(ई) तीन साल के लिए राजस्व का नुकसान

(जिस अवधि के लिए लिया जाएगा

पालन-पोषण के लिए पुनः रोपण

और उन्हें उपज देने के लिए)

(तक सीमित)

3.00

लाखों

1,31,

95,000 / - . "

कुल

4. लिखित बयान में, इसकी ओर से तर्क दिया गया था

प्रतिवादी-प्रतिवादी कि वादी किसी भी नुकसान का दावा करने का हकदार नहीं था; कि वादी और प्रतिवादी के बीच कोई समझौता नहीं था; और प्रतिवादी ने वादी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यह आरोप लगाया गया था कि 1972 के अधिनियम की धारा 18 (1) के तहत अधिसूचना में कोई निजी भूमि शामिल नहीं की गई थी, लेकिन मुआवजे का दावा करते हुए अपीलार्थी द्वारा फॉर्म संख्या 8 दाखिल किया गया था और इस तरह स्वेच्छा से निजी भूमि की पेशकश की गई थी।

अधिग्रहण के लिए। यह आरोप लगाया गया था कि इस तरह के प्रस्ताव के बाद, प्रस्तावित अभयारण्य क्षेत्र के भीतर स्थित निजी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन इस प्रस्ताव को मेसर्स नेटेसन एजेंसीज (प्लैन्टेशंस) v के खर्च के रूप में हटा दिया गया था।

राज्य प्रतिनिधि। एस. ई. सी. द्वारा। सरकार के लिए। पर्यावरण और वन विभाग। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

सरकार एक अतिवादी सरकार थी। यह भी तर्क दिया गया कि भूमि अधिग्रहण के लिए प्रतिवादी से किसी भी स्पष्ट स्वीकृति के अभाव में, वादी और प्रतिवादी के बीच कोई पूर्ण अनुबंध नहीं था; और जब उक्त पत्र दिनांक 17.11.1993 के माध्यम से, कलेक्टर, तिरुनेलवेली से निजी भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को छोड़ने का अनुरोध किया गया था और कलेक्टर ने वास्तव में प्रस्तावित कार्रवाई को छोड़ दिया था, तो विचाराधीन भूमि का कोई वास्तविक अधिग्रहण नहीं था।

4.1 . प्रतिवादी-प्रतिवादी द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अधिग्रहण के प्रस्ताव को छोड़ने में सरकार की कार्रवाई नहीं हुई

4.2 . प्रतिवादी-प्रत्यर्थी ने यह भी प्रस्तुत किया कि भले ही विचाराधीन भूमि को अधिसूचित किया गया था, किसी भी मामले में कार्रवाई का कारण, 19.11.1993 पर वादी को उपार्जित किया गया था और इसलिए, हर्जाने के लिए मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित था। प्रतिवादी ने आगे प्रस्तुत किया कि खंड पीठ ने रिट अपील (अपने दिनांक 1 के निर्णय द्वारा) को अनुमति देते हुए, हालांकि वादी के लिए यह खुला रखा था कि वह उस अवधि को बाहर करने के लिए सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों पर भरोसा करे जिसके दौरान मामला अदालत में लंबित था, लेकिन सीमा अधिनियम वादी के लिए कोई सहायता नहीं था क्योंकि पहले जिस पर मुकदमा चलाया जा रहा था, वह वादी के लिए एक चुनौती थी। अधिग्रहण का प्रस्ताव और फिर विचाराधीन भूमि के कथित अधिग्रहण के लिए मुआवजे के लिए, जबकि मुकदमे में जो मुकदमा चलाया जा रहा था वह आय के कथित नुकसान के लिए हर्जाने का दावा था।

10 इसके बाद 'सीमा अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

06.03.1976 . प्रतिवादी ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी और आवश्यक पक्षों के गैर-सहयोगी होने की आपत्तियां भी उठाईं।

5. पक्षकारों की दलीलों पर, विचारण न्यायालय ने विचारण के लिए निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए:

" 1. क्या इस अदालत के पास इस पर मुकदमा चलाने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है

सूट?

2. क्या मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित है?

3. क्या सूट आवश्यक के गैर-जॉइंडर के लिए खराब है

पार्टियाँ?

4. क्या सूट भूमि को इसके हिस्से के रूप में अधिसूचित किया गया था

वन्यजीव अभयारण्य?

5. क्या वादी हर्जाने का हकदार है और यदि है तो क्या

राशि?

6. क्या वादी ब्याज का हकदार है?

7 . क्या पक्षों के बीच अनुबंध की कोई गोपनीयता है

मुआवजे का दावा करने के लिए?

8. किस राहत के लिए? "

6. ऐसा प्रतीत होता है कि मुकदमे में वादी के साथी से पीडब्लू-1 के रूप में पूछताछ की गई थी और पी-1 से पी-42 तक के दस्तावेजों को उसके माध्यम से चिह्नित किया गया था। प्रतिवादी ने कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्षय प्रस्तुत नहीं किया।

एकल न्यायाधीश ने मुकदमे का फैसला सुनाया

7. पक्षकारों को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश, मूल मुकदमे से निपटने के लिए, दिनांकित 15.10.2001 निर्णय के माध्यम से मुद्दों का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़े।

7.1 . विद्वान एकल न्यायाधीश ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र और आवश्यक पक्षों के गैर-सहयोगी से संबंधित आपत्तियों को खारिज कर दिया और संख्या जारी करने का फैसला किया। 1 और 3 वादी के पक्ष में। सीमा से संबंधित मुद्दा संख्या 2 के संबंध में, विद्वान न्यायाधीश ने दिनांकित 18.09.1997 के निर्णय में खंड पीठ की टिप्पणियों का उल्लेख किया और

पक्षों की दलीलें और फिर, यह देखा गया कि वह असहमत होंगे प्रतिवादी के साथ और यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं था कि मुकदमा समय के भीतर दायर किया गया था। इसलिए, मुद्दा संख्या 2 का भी वादी के पक्ष में निर्णय लिया गया।

7.2 . इसके बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने मुद्दा संख्या को उठाया। 4 और 5 एक साथ निर्धारण के लिए और, इस संबंध में, पिछले मैसर्स नेटेसन एजेंसीज (प्लैन्टेशंस) v को संदर्भित किया गया है।

राज्य प्रतिनिधि। एस. ई. सी. द्वारा। सरकार के लिए। पर्यावरण और वन विभाग। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

दिनांकित पत्र 23.03.1990 (उदा. पी-21) कलेक्टर, तिरुनेलवेली द्वारा विशेष आयुक्त को और दिनांक 03.12.1990 (एक्स. पी 22) विशेष आयुक्त का जो मुआवजे की राशि के आकलन के उद्देश्य से किया गया था। अंततः, विद्वान न्यायाधीश ने वादी की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि आय के नुकसान की गणना संबंधित अधिकारियों द्वारा रुपये की दर से की गई थी। 2.31 प्रति वर्ष लाखों; और वादी को 22 वर्षों के लिए इस राशि का हकदार ठहराया, अर्थात रु। 50.82 एक लाख। विद्वान न्यायाधीश ने हालाँकि वादी के अन्य दावों को खारिज कर दिया लेकिन रुपये की एक और राशि की अनुमति दी। 1 लाख की तरफ कारखाने के कार्यालय की मरम्मत। इस तरह, वादी-अपीलार्थी को कुल रुपये की राशि का हकदार ठहराया गया था। 51.82 नुकसान की भरपाई के लिए लाखों। निर्गम संख्या 6 पर, विद्वान न्यायाधीश ने रुपये की एक और राशि का आदेश दिया। 35.06 आई. डी. 2 से आई. डी. 1 तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज होने के कारण और वादी को दाखिल करने की तारीख से वसूली तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार भी ठहराया। मुद्दा संख्या 7 पर निष्कर्षों को देखते हुए वादी के पक्ष में अलग से निर्णय लिया गया था। 4 और 5.

डिवीजन बेंच ने आदेश को पलट दिया और खारिज कर दिया

सूट

8. विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा हर्जाने और ब्याज के लिए इस प्रकार पारित डिक्री से व्यथित होने के कारण, प्रतिवादी-प्रतिवादी ने एक

अपील, 2002 की ओ. एस. ए. सं. 193 होने के नाते, की खंड पीठ के समक्ष

उच्च न्यायालय। दूसरी ओर, वादी-अपीलार्थी ने भी विद्वान एकल न्यायाधीश की डिक्री के हिस्से से व्यथित महसूस किया क्योंकि उसके दावे को स्वीकार नहीं किया गया था और एक और अपील को प्राथमिकता दी, जो 2003 की ओ. एस. ए. संख्या 178 थी। इन दोनों अपीलों और उनमें अंतर्वर्ती आवेदन, जो 2006 की सी. एम. पी. संख्या 8947 हैं, पर डिवीजन बेंच द्वारा अपने विवादित निर्णय और दिनांक 1 की डिक्री में एक साथ विचार किया गया और निर्णय लिया गया।

8.1 . उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने सभी प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलुओं (जैसा कि पहले देखा गया है) और प्रतिद्वंद्वी [2019] 11 एस. सी. आर. पर ध्यान दिया।

विवाद और उसके बाद लागू कानून के संदर्भ में मामले का विश्लेषण किया। इस संबंध में, खंड पीठ ने सबसे पहले 1972 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को व्यापक रूप से निकाला और दो मुख्य प्रश्नों की जांच की: (1) इस बारे में कि क्या अपीलार्थी अधिनियम की धारा 18 (1) के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद 25 वर्षों के लिए कथित दूसरे पट्टे के आधार पर विचाराधीन भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त कर सकता था; और (2) यदि अपीलार्थी का भूमि पर कोई अधिकार था। सवाल यह है कि क्या इसका उल्लंघन इस तरह से किया गया था कि यह नुकसान का दावा करने का कोई कारण दे सकता है। डिवीजन बेंच ने भी उल्लेख किया

अभिलेख पर प्रस्तुत साक्षय और वादी-अपीलार्थी के खिलाफ सामग्री प्रश्नों का उत्तर, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित में दिया गया है:

" 21. वर्तमान मामले में, वे तथ्य जो अब तक रहे हैं

निकाले गए, इंगित करें कि शुरू में एक की घोषणा की गई थी

अधिनियम की धारा 18 (1) के तहत अभयारण्य, लेकिन की प्रक्रिया

अधिग्रहण को निरस्त कर दिया गया था। धारा 20 में विचार किया गया है कि इसके बाद

भीतर सम्मिलित भूमि में, उस पर या उसके ऊपर अधिग्रहित किया जाएगा। ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाएँ, सिवाय इसके कि

उत्तराधिकार "। जैसा कि पहले ही विश्लेषण किए गए प्रावधानों से संकेत मिलता है कि

धारा 18 के तहत केवल अधिसूचना जारी करने पर रोक नहीं है

अपने सामान्य अधिकारों का प्रयोग करने में किसी भी संपत्ति का स्वामी और

इसी तरह इस अधिकार का प्रयोग उसके उत्तराधिकारी द्वारा किया जा सकता है। प्रतिबंध

धारा 20 के तहत परिकल्पित अंतर विवोस हस्तांतरण से संबंधित है। क्षेत्र के भीतर निहित भूमि में या उस पर किसी भी अधिकार का।

इसलिए, वादी पांच साल के लिए मौजूदा पट्टेदार के रूप में

और मूल मालिक को इस तरह से प्रतिबंधित नहीं किया गया था किसी भी अधिकार का प्रयोग करना। हालांकि, यह स्वीकार किए गए से स्पष्ट है

तथ्य यह है कि 25 वर्षों के लिए बाद के पट्टे को निष्पादित किया गया था

अधिसूचना जारी होने के बाद वादी का पक्ष

धारा 18. चूँकि वादी के आधार पर अधिकार का दावा करता है

25 वर्षों के लिए बाद का पट्टा, जिसे स्वीकृत रूप से निष्पादित किया गया था

धारा 18 के तहत अधिसूचना के बाद मूल मालिक द्वारा, यह

सन्देह है कि क्या वादी ने कोई अधिकार प्राप्त किया था

उस समय, कम से कम राज्य के खिलाफ। किसी भी तरह से, यहाँ तक कि यह मानते हुए भी

कि वादी को पट्टेदार के रूप में कोई अधिकार था, वहाँ कोई नहीं था

वादी को उसका प्रयोग करने से रोकने वाला वैधानिक प्रतिबंध अधिकार।

***

***

*** जे. ए. टी. ई. एस. ए. एन. ए. जी. (प्लैन्टेशन्स) v. राज्य प्रतिनिधि। एस. ई. सी. द्वारा। टी. पर्यावरण और वन विभाग। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

24. वर्तमान मामले में, यह इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि दावा किए गए क्षेत्र के संबंध में, वादी और मूल मालिक को कभी भी बेदखल कर दिया गया था और किसी भी अधिकार का प्रयोग करने से रोका गया था, सिवाय इसके कि 1976 में पेड़ों को काटने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। यह है

बेशक यह सच है कि अभिलेख पर कई पत्राचार हैं जो इंगित करते हैं कि मुआवजे का पता लगाने के लिए,

कलेक्टर और अन्य अधिकारी मुआवजे को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से अधिक राशि के आवंटन की मांग कर रहे थे।

और अधिनिर्णय, लेकिन, यह इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि जहां तक वादी और भूमि मालिक का संबंध है, अधिनिर्णय की कार्यवाही को कभी अंतिम रूप दिया गया था।

25. यह निश्चित रूप से सच है कि एक्स. पी.-17 दिनांकित 28.5.1987 पत्र

कलेक्टर द्वारा सरकार के उप सचिव को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि वादी की भूमि को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था और इसकी विकास गतिविधियों को

रुक गया। हालाँकि, सरकार के दो अधिकारियों के बीच इस संचार को इस रूप में नहीं माना जाना चाहिए

मूल मालिक या वादी को किसी विशेष से इनकार करना

सही है। अभिलेख पर यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि अधिनियम के तहत उठाए गए विभिन्न कदमों के कारण, मूल मालिक और वादी को जंगल के अंदर जाने और उपभोग एकत्र करने से रोका गया था। यदि पहले से जारी अधिसूचनाओं और घोषणाओं के दायरे से संबंधित किसी भी गलतफहमी के तहत वादी ने अपनी गतिविधियों को रोक दिया, तो यह वादी का अपना दुर्भाग्य था और यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी को राज्य द्वारा अपने वैध अधिकार का प्रयोग करने में किसी भी गैरकानूनी तरीके से रोका गया था। केवल इसलिए कि विभिन्न पत्राचार से संकेत मिलता है कि भूमि धारा 18 के तहत जारी अधिसूचना के तहत शामिल थी, यह नहीं कहा जा सकता है कि मूल मालिक

और वादी वंचित हो गया था। 10 एकड़ के भीतर गिराए गए पेड़ों को देने से इनकार करने से संबंधित एकमात्र प्रत्यक्ष दस्तावेज का पहले ही विश्लेषण किया जा चुका है और यह कारक वादी द्वारा दावा किए गए खगोलीय राशि का दावा करने के लिए कार्रवाई के कारण को जन्म नहीं देता है। चूंकि वादी को पेड़ों को गिराने की अनुमति नहीं थी, इसलिए यह अच्छी तरह से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्षेत्र को बाहर रखने के बाद भी पेड़ों का दोहन किया जा सकता है। हालाँकि, केवल उपरोक्त दस्तावेज़ से, जो अंतर-विभागीय [2019] 11 एस. सी. आर. था।

वर्ष 1987 में किया गया संचार, इसका अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि मूल मालिक और वादी वास्तव में थे

अपने अधिकारों का प्रयोग करने से रोका।

***

***

***

27. Ex. P-14 10 में पेड़ों को साफ करने की प्रार्थना से संबंधित है। एकड़। वह दर पर नुकसान का दावा करने के लिए आधार नहीं बना सकता है

रु. 2,31,000 / - 22 वर्षों के लिए प्रति वर्ष। विभिन्न रिट में

याचिकाएँ और रिट अपील, जो दायर की गई थीं, हम करते हैं

ऐसा कोई आरोप नहीं मिलता है कि किसी भी समय मूल

मालिक और वादी को व्यायाम करने से रोक दिया गया था उनके सामान्य अधिकार। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों

वादी को हर्जाने के रूप में मुआवजा दिया जाना चाहिए।

जब तक कि प्रतिवादी की ओर से कोई गैरकानूनी कार्य न हो। केवल इसलिए कि वादी ने इसके दायरे को गलत समझा

अधिनियम की धारा 18 के तहत घोषणा या यह तथ्य कि कुछ पूछताछ लंबित थी, यह हर्जाना देने का आधार नहीं है।

8.2 . उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भी जांच की

दिनांक 18.09.1997 के पिछले निर्णय का उद्देश्य और प्रभाव और

यह इंगित किया गया कि उसमें टिप्पणियों का मतलब यह नहीं था कि पक्षों के अधिकारों और देनदारियों का निर्णय लिया गया था और केवल नुकसान की राशि की मात्रा निर्धारित की जानी थी। खंड पीठ ने निम्नलिखित में अभिनिर्धारित किया कि वादी-अपीलकर्ता, राज्य या उसके अधिकारियों की ओर से गैरकानूनी गतिविधि के विशिष्ट मामले को साबित करने में विफल रहने के कारण, हर्जाने के रूप में किसी भी राशि की वसूली करने का हकदार नहीं है:

" 28. इसमें कोई संदेह नहीं है कि डिवीजन बेंच के फैसले में,

सरकार के पक्ष में रिट अपील पर निर्णय लेते समय,

कुछ अवलोकन किए गए हैं जो संकेत देते हैं कि यह खुला है

पीड़ित पक्ष को पर्याप्त मुआवजे की मांग करने के लिए।

परिमाणीकरण किया जाना है। दूसरी ओर, यह केवल था स्पष्ट किया कि भले ही सरकार को मजबूर नहीं किया जा सकता है

अभयारण्य के उद्देश्य से भूमि का अधिग्रहण करने के लिए, यह खुला था

पीड़ित पक्ष को स्पष्ट रूप से अपने उपाय को आगे बढ़ाने के लिए

कानून के अनुसार। यदि व्यक्ति को कोई चोट लगी है राज्य या उसकी किसी भी गैरकानूनी गतिविधि का लेखा-जोखा

आधिकारिक तौर पर, यह वादी का काम था कि वह स्पष्ट रूप से मेसर्स नेटेसन एजेंसीज (प्लैन्टेशंस) v पर आरोप लगाए और साबित करे।

राज्य प्रतिनिधि। एसईसी द्वारा। सरकार के लिए। पर्यावरण और वन विभाग। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

हानि के रूप में किसी भी मुआवजे का दावा करने के लिए ऐसी गैरकानूनी गतिविधि। जाहिर है कि वादी को अधिनियम के तहत परिकल्पित कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। यदि उसे किसी अवैध कार्य के लिए कोई राशि प्राप्त करनी है। राज्य या उसके अधिकारी की ओर से गतिविधि, एक विशिष्ट मामला बनाया जाना चाहिए। हमारी सुविचारित राय में, वर्तमान मामले में, ऐसा कोई विशिष्ट मामला प्रस्तुत नहीं किया गया है, बहुत कम साबित हुआ है।

8.3 . इसके बाद, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने सीमा के प्रश्न का उल्लेख किया और सीमा अधिनियम की धारा 14 का उल्लेख करते हुए, अपने प्रथम दृष्टया संदेह का संकेत दिया कि क्या उस अवधि को बाहर रखा जा सकता है जिसके दौरान उच्च न्यायालय में मुकदमा लंबित रहा, लेकिन मामले को उस पर छोड़ दिया जा सकता है, अनिवार्य रूप से इस कारण से कि वादी के दावे को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था। डिवीजन बेंच ने टिप्पणी की:

" 29 ..... अब वादी इस तथ्य के कारण हर्जाने का दावा कर रहा है कि क्षेत्र को अभयारण्य से बाहर रखा गया है और इस तरह से नुकसान हुआ है, जाहिर है कि कार्रवाई का कारण उस तारीख को उत्पन्न हुआ था, अर्थात 19.11.1993। इस तरह के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई रिट याचिका स्पष्ट रूप से एक अलग राहत के लिए थी। रिट याचिका को योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया गया था न कि अधिकार क्षेत्र के अभाव में। प्रथम दृष्टया हमें संदेह है

क्या वह अवधि जिसके दौरान इस तरह के मुकदमे दायर किए गए उच्च न्यायालय में लंबित रहने को सीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत बाहर रखा जा सकता है। हालाँकि, चूंकि हमने वादी के दावे को गुण-दोष के आधार पर अस्वीकार कर दिया है, इसलिए इस तरह के प्रश्न में आगे बढ़ना आवश्यक नहीं है।

8.4 . अंत में, खंड पीठ ने वादी के ब्याज के दावे को भी खारिज कर दिया और मुद्दा संख्या 6 पर विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों को खारिज कर दिया।

8.5 . संबंधित मुद्दों पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने राज्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और वादी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। तदनुसार, वादी-अपीलार्थी द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया गया। इसलिए यह अपील की गई है।

प्रतिद्वंद्वी विवाद: 9.

दिनांकित 26.02.2007 के विवादित निर्णय को लागू करते हुए, विद्वान

अपीलार्थी के वरिष्ठ वकील ने बड़ी मेहनत से हमें मामले के सभी पृष्ठभूमि पहलुओं और [2019] 11 एस. सी. आर. के प्रासंगिक प्रावधानों के बारे में बताया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय ने विधि के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश के सुविचारित निर्णय को उलटने और अपीलार्थी द्वारा दायर वाद को खारिज करने में तथ्यों पर भी गलती की है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने स्वामित्व और संपत्ति की न्यायशास्त्रीय अवधारणाओं का उल्लेख किया है और तर्क दिया है कि पट्टा विषय भूमि पर अधिकार रखना और उस पर वृक्षारोपण करना अपीलार्थी की मूल्यवान संपत्ति थी और विषय भूमि के उपयोग से वंचित करना अपीलार्थी के संपत्ति के अधिकार का सीधा उल्लंघन था।

जिसके लिए, अपीलार्थी हर्जाने का दावा करने का हकदार है। विद्वान वकील ने विशेष रूप से कलेक्टर द्वारा वन और मत्स्य पालन विभाग में सरकार के उप सचिव को दिनांकित 28.05.1987 पत्र का उल्लेख किया है जिसमें इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि भूमि थी

वर्ष 1972 से 1978 तक अपीलार्थी द्वारा विकसित; और भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव के कारण क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित करने के बाद अपीलार्थी को विचाराधीन भूमि पर अपना काम जारी रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि इस तथ्य की स्पष्ट स्वीकृति होने के कारण कि अपीलार्थी वास्तव में विचाराधीन भूमि का उपयोग करने से वंचित था और इसके विपरीत कोई सबूत नहीं होने के कारण, विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी के इस तरह के प्रवेश पर उचित रूप से आगे बढ़े थे।

विद्वान वकील ने थिरू जॉन बनाम के निर्णयों पर भरोसा किया है। निर्वाचन अधिकारी और अन्य। : (1977) 3 एस. सी. सी. 540, सुशील कुमार बनाम

राकेश कुमार: (2003) 8 एस. सी. सी. 673, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम। आंध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और अन्य। : (2006) 6 एस. सी. सी. 94 को यह प्रस्तुत करने के लिए कि प्रतिवादी के खिलाफ सबसे अच्छा सबूत होने के नाते स्वीकार किया गया था, मुकदमा सही ढंग से घोषित किया गया था और डिवीजन बेंच ने इस तरह से पारित डिक्री को उलटने में गलती की है।

9.1 . विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया है कि 1972 के अधिनियम के अपरिवर्तित प्रावधानों के संदर्भ में, एक बार भूमि को अधिसूचित किया गया था धारा 18 के तहत, यहां तक कि भूमि मालिक को भी भूमि का उपयोग करने से रोक दिया गया था और उसे कार्यवाही के समापन तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी। कार्यवाही के लंबित होने तक प्रतिबंध, के अनुसार

विद्वान वकील, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी के अपनी संपत्ति का उपयोग करने के अधिकार का सीधा उल्लंघन हुआ था; और इस मामले में, जहां विषय भूमि थी अनावश्यक रूप से अधिग्रहित करने की मांग की गई और फिर, मुआवजे से बचने के लिए, दो दशकों से अधिक समय के बाद इसे बाहर कर दिया गया, अपीलार्थी इस पूरे समय के दौरान हुए नुकसान के लिए नुकसान का दावा करने का हकदार है जब भूमि का आवश्यक उपयोग नहीं किया जा सका था। विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि राज्य सरकार ने स्वयं स्वीकार किया था कि विचाराधीन भूमि के लिए वार्षिक उपज का आकलन नहीं किया जा सकता था क्योंकि अपीलार्थी मैसर्स नेटेसन एजेंसीज (प्लैन्टेशंस) v था।

राज्य प्रतिनिधि। एस. ई. सी. द्वारा। सरकार के लिए। पर्यावरण और वन विभाग। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

किसी भी वृक्षारोपण गतिविधियों को करने से रोका गया और इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश की टिप्पणियाँ, कि अपीलार्थी को अपने अधिकारों का प्रयोग करने से प्रतिबंधित किया गया था, गलत नहीं थे और इसके लिए नुकसान

अपीलार्थी को हुए नुकसान की उचित अनुमति दी गई थी। इस प्रकार, विद्वान वकील के अनुसार, विवादित निर्णय को दरकिनार किया जाना चाहिए और विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय बहाल किया जाना चाहिए। इन दलीलों के समर्थन में, विद्वान वकील ने कई निर्णयों पर भरोसा किया है, जिसमें भारत संघ बनाम शामिल है। हरि कृष्ण खोसला (मृत)

एलआरः (1993) सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 149, जिन पर इन्फ्रा होने वाले कारणों के लिए विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है।

9.2 . जहां तक नुकसान की मात्रा का संबंध है, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि जब अपीलार्थी को नुकसान के लिए भारी नुकसान उठाना पड़ा है

प्रश्नगत भूमि का उपयोग करने से वंचित किया जाता है और उपयोग लेने से रोका जाता है, नुकसान की मात्रा का उचित मूल्यांकन पुरस्कार जांच के दौरान प्रतिवादी राज्य के अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन की गई आय के नुकसान के आधार पर किया गया था; बल्कि मूल्यांकन निचली तरफ था, अपीलार्थी को हुए नुकसान और अभाव को देखते हुए।

9.3 . विद्वान वकील ने प्रतिवादी की ओर से आग्रह की जाने वाली दलीलों का भी उल्लेख किया है- प्रतिवादी के संदर्भ में 1972 के अधिनियम की धारा 60 में तर्क दिया गया है कि इस तरह की याचिका न तो लिखित बयान में ली गई थी और न ही उस संबंध में कोई मुद्दा तैयार किया गया था और न ही एकल न्यायाधीश के समक्ष इस तरह के किसी भी विवाद का आग्रह किया गया था और

इसलिए, प्रतिवादी बाद के चरण में ऐसी याचिका नहीं ले सकता है। इन प्रस्तुतियों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया है कि कस्तूरी लाल बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय के सिद्धांत। यू. पी. का राज्य : ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1039 अपने अधिकारियों के यातनापूर्ण कृत्य के संबंध में राज्य को पूर्ण प्रतिरक्षा के साथ निवेश करने के लिए नहीं है और विशेष रूप से एन. नागेंद्र राव एंड कंपनी बनाम में निर्णयों का उल्लेख किया है।

ए. पी. राज्य : (1994) 6 एस. सी. सी. 205 और भारत संघ बनाम संचेती फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड : (2015) 15 एससीसी 447।

9.4 . विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया मुकदमा समय के भीतर था और हो नहीं सकता था

सीमा के आधार पर खारिज कर दिया गया। विद्वान वकील ने डिवीजन बेंच द्वारा अपने पिछले निर्णय दिनांक 18.09.1997 में दी गई टिप्पणियों और स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। विद्वान वकील के अनुसार, इस मामले में, जहां अपीलकर्ता पहले कलेक्टर के दिनांकित आदेश के खिलाफ रिट याचिका में मामले पर मुकदमा चला रहा था और वास्तव में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया था और [2019] 11 एस. सी. आर. को रद्द कर दिया था।

अभयारण्य से विषय भूमि के बहिष्कार का उक्त आदेश, उक्त आदेश अस्तित्व में नहीं रहा और डिवीजन बेंच के दिनांक 18.09.1997 के फैसले के बाद ही पुनर्जीवित हुआ। मामले के इस दृष्टिकोण में और सीमा अधिनियम की धारा 14 को ध्यान में रखते हुए, विद्वान वकील के अनुसार, उक्त रिट मामले पर मुकदमा चलाने में बिताए गए समय को बाहर रखा जाना आवश्यक है और इसलिए, 08.06.1998 पर स्थापित मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित नहीं है। विद्वान वकील ने रामेश्वर लाल बनाम में निर्णयों का उल्लेख किया है। नगर परिषद, टोंक और अन्य। : (1996) 6 एस. सी. सी. 100 और भारत संघ बनाम शि्रंग कंस्ट्रक्शन कं. (पी) लिमिटेड : (2006) 8 एससीसी 18. विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि डिवीजन बेंच द्वारा निर्णय की तारीख से एक साल के भीतर मुकदमा दायर किया गया है, सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 72 की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। इसके अलावा, ए. पी. राज्य बनाम में निर्णय के संदर्भ में। चल्ला रामकृष्ण रेड्डी और अन्य। : (2000) 5 एस. सी. सी. 712, विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि संबंधित प्राधिकारी की कार्रवाई प्रामाणिक नहीं होने के कारण, सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 113 के अनुसार तीन साल की सीमा लागू होगी। विद्वान वकील के अनुसार, किसी भी कोण से देखने पर, मुकदमा सीमा के भीतर है।

10. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि अपीलकर्ता नुकसान के लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं है जब विचाराधीन भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित नहीं की गई थी। विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि विचाराधीन भूमि की थी मठ, और यदि वह अपीलार्थी को पट्टे पर दिया गया था, तो अपीलार्थी के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय मठ के खिलाफ था न कि राज्य के क्योंकि राज्य और अपीलार्थी के बीच अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं थी। विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी तर्क दिया है कि तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ की धारा 34 के संदर्भ में

दान अधिनियम, 1959 1 1,25 वर्ष की अवधि के लिए कथित पट्टा था

शून्य और शून्य क्योंकि इस तरह का पट्टा तब तक नहीं दिया जा सकता था जब तक कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा मंजूरी नहीं दी गई हो; और, इस संबंध में, केवल एक सरसरी

पीडब्लू1 द्वारा अनुमति प्राप्त करने का बयान दिया गया था लेकिन आवश्यक मंजूरी का कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था। 10.1 . विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया है कि राज्य और उसके अधिकारियों ने क़ानून के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है, अर्थात

1972 के अधिनियम में कानूनी तरीके से, 1972 के अधिनियम की धारा 60 के प्रावधानों को देखते हुए नुकसान के लिए मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था। विद्वान वकील ने कस्तूरी लाल के मामले में निर्णय का भी उल्लेख किया है (ऊपर)

11 इसके बाद '1959 का तमिलनाडु अधिनियम' के रूप में संदर्भित मेसर्स नेटेसन एजेंसीज (प्लैन्टेशंस) v.

राज्य प्रतिनिधि। एस. ई. सी. द्वारा। सरकार के लिए। पर्यावरण और वन विभाग। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

और प्रस्तुत किया कि विचाराधीन भूमि को प्रस्तावित अभयारण्य से प्रासंगिक विचारों पर बाहर रखा गया है, जिसमें हित भी शामिल है सरकारी खजाने में, विवादित कार्रवाई से नुकसान का दावा करने का कोई कारण नहीं होगा। विद्वान वकील ने आगे प्रतिपरीक्षा में पीडब्लू-1 के बयान का उल्लेख किया है कि उसे कभी बेदखल नहीं किया गया था और तर्क दिया है कि किसी भी कानूनी प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

कि वास्तविक नुकसान का कुछ भी साबित नहीं हुआ है और विषय भूमि को अभयारण्य से बाहर रखा गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने गंभीरता से कहा था बिना किसी कारण या औचित्य के 22 वर्षों के लिए आय के कथित नुकसान के संदर्भ में नुकसान की मात्रा निर्धारित करने में त्रुटि।

10.3 . प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने भी कड़ी मेहनत की है

तर्क दिया कि भले ही यह माना जाए कि दिनांक 19.11.1993 के बहिष्करण आदेश के जारी होने पर उपार्जित कार्रवाई का कारण, विचाराधीन मुकदमा स्पष्ट रूप से सीमा द्वारा वर्जित था। विद्वान वकील के अनुसार, सीमा अधिनियम की धारा 14 अपीलार्थी के बचाव में नहीं आएगी क्योंकि रिट याचिका का विषय, जो मठ और अपीलार्थी द्वारा दिनांकित आदेश को चुनौती देते हुए संयुक्त रूप से दायर किया गया था, वर्तमान मुकदमे के समान नहीं था क्योंकि उक्त रिट याचिका में हर्जाने का कोई दावा नहीं किया गया था। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि सीमा अधिनियम की धारा 14 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया है, उक्त रिट याचिका पर मुकदमा चलाने की अवधि को बाहर नहीं किया जा सकता है और इसलिए, मुकदमे को सीमा के आधार पर खारिज करने की आवश्यकता है। विद्वान वकील ने यशवंत देवराव बनाम के निर्णय पर भरोसा किया है। वालचंद रामचंद: ए. आई. आर 1951 एस. सी 16.

प्रारंभिक अवलोकन

11. हमने प्रतिद्वंद्वी की दलीलों पर विचारपूर्वक विचार किया है और लागू कानून के संदर्भ में मामले के रिकॉर्ड की जांच की है। मामले की समग्रता की जांच करने के बाद, हमारा निस्संदेह यह विचार है कि वादी-अपीलार्थी द्वारा दायर किए गए मुकदमे को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था और अन्यथा भी, वादी-अपीलार्थी के पास नहीं था प्रतिवादी से हर्जाने का दावा करने के लिए गुण-दोष पर मामला-राज्य। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने राज्य द्वारा दायर अपील को सही माना है और अपीलार्थी द्वारा दायर आधारहीन मुकदमे को सही ढंग से खारिज कर दिया है। इसलिए, यह अपील बिना किसी योग्यता के खारिज की जानी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. हर्जाने के लिए अपीलार्थी के दावे की सीमा और स्थिरता से संबंधित प्रश्नों पर विस्तार करने से पहले, हम यह देख सकते हैं कि 1959 के तमिलनाडु अधिनियम (जैसा कि इस न्यायालय के समक्ष आग्रह किया गया है) के अनुसार अपीलार्थी के पक्ष में कथित दूसरे पट्टे की वैधता के संबंध में प्रतिवादी-प्रतिवादी की ओर से देर से रखी गई दलीलें; और 1972 के अधिनियम की धारा 60 के अनुसार किसी भी कार्रवाई से प्रतिरक्षा के संबंध में (जैसा कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष आग्रह किया गया है) को पूरी तरह से आधारहीन नहीं कहा जा सकता है। हम यह देखने के लिए जल्दी करेंगे कि

अपीलार्थी के मामले को इन आधारों पर खारिज नहीं किया जा रहा है क्योंकि इस तरह की दलीलों का आग्रह परीक्षण चरण में नहीं किया गया था, लेकिन तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए सेट में, हम इन पहलुओं के संबंध में प्रथम दृष्टया टिप्पणियां करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं।

12.1 . अपीलार्थी के मामले के अनुसार, विचाराधीन भूमि के संबंध में दिनांक 20.03.1978 का दूसरा पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था।

या संस्था के लिए लाभदायक। 1959 के तमिलनाडु अधिनियम की उक्त धारा 34 के पहले परंतुक में यह भी आवश्यक है कि मंजूरी के अनुसार, प्रस्तावित लेन-देन से संबंधित विवरण प्रकाशित किए जाएंगे।

12 1959 के तमिलनाडु अधिनियम की धारा 34 के प्रासंगिक भागों को नीचे पढ़ा जा सकता है: -

" 34. अचल न्यास संपत्ति का अलगाव।

(1) कोई भी विनिमय, बिक्री या बंधक और पाँच से अधिक अवधि के लिए कोई पट्टा

किसी भी अचल संपत्ति के वर्ष, जो संबंधित हैं, या इसके लिए दिए गए या संपन्न हैं किसी भी धार्मिक संस्था के उद्देश्य होंगे -

शून्य और शून्य जब तक कि यह आयुक्त द्वारा आवश्यक होने के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाता है या

संस्थान के लिए लाभकारी:

बशर्ते कि ऐसी मंजूरी दिए जाने से पहले, संबंधित विवरण

प्रस्तावित लेन-देन को उस तरीके से प्रकाशित किया जाएगा जो निर्धारित किया जाए,

इसके संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करना; और सभी आपत्तियाँ और न्यासी या ब्याज वाले अन्य व्यक्तियों से प्राप्त सुझाव होंगे -

आयुक्त द्वारा विधिवत विचार किया गया:

बशर्ते कि आयुक्त इसके बिना ऐसी मंजूरी नहीं देगा।

सरकार की पूर्व स्वीकृति।

स्पष्टीकरण। - उपर्युक्त संपत्ति का कोई पट्टा हालांकि एक अवधि के लिए नहीं

पाँच वर्ष से अधिक, यदि इसमें आगे के लिए नवीनीकरण का प्रावधान है।

कार्यकाल (कुल मिलाकर पाँच वर्ष से अधिक), चाहे वह किसी भी अवधि के अधीन हो।

शर्त हो या न हो, उसे पाँच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टा माना जाएगा।

*

** "

***

*** मेसर्स नेटेसन एजेंसीज (प्लैन्टेशंस) v. राज्य प्रतिनिधि। एसईसी द्वारा। सरकार के लिए। पर्यावरण और वन विभाग। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करते समय; और न्यासी या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा। वर्तमान मामले में, पीडब्लू-1 द्वारा एक अस्पष्ट बयान दिया गया था कि संबंधित विभाग की अनुमति दूसरे पट्टे के लिए प्राप्त की गई थी, जिसके लिए कलेक्टर ने सिफारिश लेकिन फिर, न तो इस तरह के किसी भी दस्तावेजी प्रमाण

अनुमति/मंजूरी दी जाती है और न ही यह दिखाया जाता है कि प्रस्तावित मंजूरी विधिवत प्रकाशित की गई थी और आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित किया गया था और उन पर विचार किया गया था। दूसरे पट्टा विलेख की वैधता पर आवश्यक साक्षय के अभाव में, प्रथम दृष्टया यह गंभीर रूप से संदिग्ध प्रतीत होता है कि क्या वादी अपीलार्थी ने उक्त पट्टा विलेख के आधार पर विचाराधीन भूमि में कोई अधिकार प्राप्त किया था, राज्य से हर्जाने का दावा करने का अधिकार बहुत कम है। मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम 1959 के तमिलनाडु अधिनियम की धारा 34 के प्रभाव से संबंधित पहलू को केवल उस पर छोड़ रहे हैं, अनिवार्य रूप से क्योंकि हम संतुष्ट हैं कि उक्त पट्टा विलेख अन्यथा भी अस्वीकार्य था और किसी भी मामले में, इस संदिग्ध दूसरे पट्टे के आधार पर भी, वादी-अपीलार्थी को हर्जाने का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

12.2 . दूसरा, 1972 के अधिनियम की धारा 60 1 3 13 के आधार पर, नहीं

1972 के अधिनियम के तहत सद्भावना से की गई किसी भी कार्रवाई के संबंध में दीवानी मुकदमा कायम रखा जा सकता है। हालाँकि, प्रतिवादी-प्रतिवादी की ओर से इस पहलू का विशिष्ट शब्दों में अनुरोध नहीं किया गया था और न ही उस संबंध में कोई मुद्दा उठाया गया था, लेकिन, प्रथम दृष्टया, हमें आपत्ति है कि क्या 1972 के अधिनियम की धारा 60 के बावजूद प्रतिवादी-राज्य के खिलाफ वर्तमान प्रकृति की कोई कार्रवाई की जा सकती थी। जैसे भी हो सके, हम अंत में इन पहलुओं पर उच्चारण नहीं कर रहे हैं और उसी पर छोड़ रहे हैं।

13. इस मामले में निर्धारण के लिए सामग्री बिंदुओं को लेते हुए,

यद्यपि हम संतुष्ट हैं कि विचाराधीन मुकदमा खारिज होने योग्य है

13 1972 के अधिनियम की धारा 60 के प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैं: 60. सद्भावना से की गई कार्रवाई का संरक्षण। - (1) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही इस अधिनियम के तहत सद्भावना से की गई या की जाने वाली किसी भी चीज़ के लिए नहीं होगी।

(2) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या उसके किसी भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के खिलाफ कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। इस अधिनियम के तहत सद्भावना से की गई या की जाने वाली किसी भी चीज़ से होने वाली या होने की संभावना वाली क्षति।

***

***

अपीलार्थी के पक्ष में इस मुद्दे का निर्णय लिया गया और खंड पीठ ने मुकदमे को खारिज करने के कारण इसे अनुत्तरित छोड़ दिया, यह उचित प्रतीत होता है अपीलार्थी द्वारा हर्जाने के दावे के गुण-दोष पर विस्तार करने के बाद ही बाद में और सीमा के प्रश्न पर चर्चा करना।

अपीलार्थी द्वारा नुकसान के लिए दावा-क्या टिकाऊ है?

14. इस बात का निर्धारण करने के लिए कि क्या नुकसान के लिए अपीलार्थी का दावा टिकाऊ है और उच्च न्यायालय की खंड पीठ न्यायालय द्वारा वाद को खारिज करना सही नहीं था, अभयारण्य की घोषणा और उस उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से संबंधित 1972 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के प्रभाव और संचालन से संबंधित कुछ बुनियादी प्रश्नों को संबोधित करने की आवश्यकता है।

1972 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान

15. जहाँ तक इस मामले में शामिल बुनियादी प्रश्नों का संबंध है, 1972 के अधिनियम के अध्याय IV में निहित प्रावधानों में प्रत्यक्ष रूप से

विषय वस्तु को समझने की आवश्यकता है और उसमें प्रासंगिक संशोधनों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिनियम के चौथे अध्याय में पहले "संत, राष्ट्रीय" शीर्षक था।

पार्क और बंद क्षेत्र ", तीन उप-शीर्षकों के तहत प्रावधानों के विभाजन के साथ। , " अभयारण्य "," राष्ट्रीय उद्यान "और" बंद क्षेत्र "। 1 4 14 सुसंगत समय पर, अर्थात्, दिनांक 2 और 1 की दो अधिसूचनाओं के जारी होने पर, 1972 के अधिनियम की धारा 18 से 24,27 और 28 में उप-शीर्षक "अभयारण्यों" के तहत प्रावधान, जिनके साथ हम इस अपील में काफी हद तक संबंधित हैं, निम्नानुसार थे:

" 18. अभयारण्य की घोषणा। - (1) राज्य सरकार कर सकती है,

अधिसूचना द्वारा, किसी भी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करें यदि वह

यह मानते हुए कि ऐसा क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, जीवों का है,

पुष्प, भू-आकृति विज्ञान, प्राकृतिक या प्राणी विज्ञान का महत्व,

वन्य जीवों की रक्षा, प्रचार या विकास के उद्देश्य से

जीवन या उसका परिवेश 1 5

14 मुख्य शीर्षक को 2003 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और अब यह पढ़ता है: " संरक्षित क्षेत्र "।

धारा 18 (1) में निहित प्रावधानों को 1991 के अधिनियम संख्या 44 द्वारा 02.10.1991 से संशोधित किया गया। धारा 18 (1) के संशोधित प्रावधान इस प्रकार हैं:

जे. ए. टी. ई. एस. ए. एन. ए. जी. (प्लैन्टेशन्स) v. राज्य प्रतिनिधि। एस. ई. सी. द्वारा। टी. पर्यावरण और वन विभाग। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

19. अधिकार निर्धारित करने के लिए कलेक्टर। - जब भी कोई क्षेत्र हो

अभयारण्य घोषित, कलेक्टर इसकी जांच करेगा

और अधिकारों के अस्तित्व, प्रकृति और विस्तार का निर्धारण करना।

सीमा के भीतर शामिल भूमि में या उसके ऊपर किसी भी व्यक्ति का

अभयारण्य का 1 6

20. अधिकारों के संचय पर रोक। - अधिसूचना जारी होने के बाद

धारा 18 के तहत, कोई भी अधिकार अर्जित नहीं किया जाएगा।

में निर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर शामिल भूमि

ऐसी अधिसूचना, उत्तराधिकार द्वारा, वसीयतनामा या आंतों में।

प्रत्येक शहर और गाँव में या में क्षेत्रीय भाषा उसमें शामिल क्षेत्र का पड़ोस, एक घोषणा

(क) यथासंभव स्थिति को निर्दिष्ट करना और

अभयारण्य की सीमाएँ; और

(ख) उल्लिखित किसी भी अधिकार का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता

धारा 19 में, कलेक्टर के समक्ष वरीयता देने के लिए,

ऐसी घोषणा की तारीख से दो महीने बाद, निर्धारित प्रपत्र में लिखित दावा, निर्दिष्ट करते हुए

आवश्यक विवरणों के साथ ऐसे अधिकार की प्रकृति और विस्तार

और मुआवजे की राशि और विवरण, यदि जो उसके संबंध में दावा किया गया हो।

22. कलेक्टर द्वारा पूछताछ। - कलेक्टर, की सेवा के बाद

दावेदार पर निर्धारित सूचना, शीघ्रता से पूछताछ करें में

अभयारण्य की घोषणा। -

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी आरक्षित वन या क्षेत्रीय जल के भीतर शामिल क्षेत्र के अलावा किसी भी क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में गठित करने के अपने इरादे की घोषणा कर सकती है, यदि वह मानती है कि ऐसा क्षेत्र वन्यजीव या उसके पर्यावरण की रक्षा, प्रसार या विकास के उद्देश्य से पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव, पुष्प, भू-आकृति विज्ञान, प्राकृतिक या प्राणी विज्ञान महत्व का है।

19 को 1971 के अधिनियम संख्या 44 और संशोधित धारा 19 द्वारा भी निम्नानुसार संशोधित किया गया था:

" 19. अधिकार निर्धारित करने के लिए कलेक्टर। - जब धारा 18 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई है, तो कलेक्टर अभयारण्य की सीमाओं के भीतर शामिल भूमि में या उस पर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों के अस्तित्व, प्रकृति और विस्तार की जांच और निर्धारण करेगा।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(क) के खंड (ख) के अधीन उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया दावा

धारा 21; और

(ख) धारा 19 में उल्लिखित और धारा 21 के खंड (ख) के तहत दावा नहीं किए गए किसी भी अधिकार का अस्तित्व,

जहाँ तक इसका पता राज्य सरकार के अभिलेखों और किसी भी व्यक्ति के साक्षय से लगाया जा सकता है।

उसी से परिचित।

23. कलेक्टर की शक्तियाँ। - ऐसी जांच के उद्देश्य से, कलेक्टर निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, अर्थात्:

(क) किसी भूमि में या उस पर प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने, सीमांकन करने और उसका नक्शा बनाने या ऐसा करने के लिए किसी अन्य अधिकारी को अधिकृत करने की शक्ति;

(ख) वही शक्तियाँ जो सिविल न्यायालय में निहित हैं

मुकदमों का परीक्षण।

उसे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का आदेश पारित करेगा। (2) यदि इस तरह के दावे को पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है, तो कलेक्टर या तो

(क) ऐसी भूमि को प्रस्तावित सीमा से बाहर कर देना।

अभयारण्य, या

(ख) ऐसी भूमि या अधिकारों का अधिग्रहण करने के लिए आगे बढ़ना, सिवाय इसके कि ऐसी भूमि के मालिक के बीच एक समझौते द्वारा या

अधिकार धारक और सरकार, ऐसे अधिकारों का स्वामी या धारक ऐसी भूमि में या उस पर अपने अधिकारों को सरकार को सौंपने के लिए सहमत हो गया है, और ऐसे मुआवजे के भुगतान पर, जैसा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) में साबित होता है। 1 7

उन्होंने कहा कि 1991 का संशोधन अधिनियम संख्या 44, उपखंड (ग) को इसमें जोड़ा गया था।

एन 24 इस प्रकार है: -

" (ग) मुख्य वन्यजीव वार्डन के परामर्श से किसी भी व्यक्ति के किसी भी भूमि में या उस पर किसी भी अधिकार को जारी रखने की अनुमति दें।

अभयारण्य की सीमाएँ "। ई. एस. ए. एन. एजेंसियां (योजनाएं) v. राज्य प्रतिनिधि। एसईसी द्वारा। पर्यावरण और वन विभाग के लिए। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

7. अभयारण्य में प्रवेश पर प्रतिबंध। - (1) कोई और नहीं अ,

((क) कर्तव्य पर कार्यरत लोक सेवक, (बी) एक व्यक्ति जिसे चीफ वाइल्ड द्वारा अनुमति दी गई है

लाइफ वार्डन या इसके भीतर रहने के लिए अधिकृत अधिकारी

अभयारण्य की सीमाएँ,

(ग) एक व्यक्ति जिसका अचल संपत्ति पर कोई अधिकार है।

अभयारण्य की सीमा के भीतर,

(घ) अभयारण्य से गुजरने वाला व्यक्ति

राजमार्ग, और

(ङ) खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति के आश्रित,

खंड (ख) या खंड (ग),

सभी पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं या निवास करते हैं, सिवाय नीचे और अंदर के

के तहत दिए गए परमिट की शर्तों के साथ तालमेल

धारा 28.) प्रत्येक व्यक्ति, जब तक वह अभयारण्य में रहता है,

बंधी हुई

(ए) अभयारण्य में, एक के आयोग को रोकने के लिए

इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध;

(ख) जहाँ यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के विरुद्ध ऐसा कोई अपराध ऐसे अभयारण्य में किया गया है,

पता लगाने और गिरफ्तार करने में मदद करने के लिए

अपराधी;

(ग) किसी भी जंगली जानवर की मौत की सूचना देना और

मुख्य वन्यजीव तक अपने अवशेषों की रक्षा करें

वार्डन या अधिकृत अधिकारी इसका प्रभार संभालते हैं।

(घ) ऐसे अभयारण्य में किसी भी आग को बुझाने के लिए जिसके बारे में उसे जानकारी या जानकारी है और

अपने अधिकार में किसी भी वैध माध्यम से, ऐसे अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र में किसी भी आग को फैलाना, जिसके बारे में उसे जानकारी या जानकारी है; और [2019] 11 एस. सी. आर.

(ई) इस अधिनियम के खिलाफ किसी भी अपराध को रोकने या ऐसे किसी अपराध की जांच में किसी भी वन अधिकारी, मुख्य वन्यजीव वार्डन, वन्यजीव वार्डन या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए। 18

28. अनुमति प्रदान करना। - (1) मुख्य वन्यजीव वार्डन, आवेदन पर, किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या रहने की अनुमति दे सकता है।

निम्नलिखित सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए एक अभयारण्य, अर्थात्:

(क) वन्य जीवन और उद्देश्यों की जांच या अध्ययन

सहायक या आनुषंगिक;

(ख) फोटोग्राफी;

((घ) पर्यटन;

(ई) रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ वैध व्यवसाय का लेन-देन

अभयारण्य में।

(2) अभयारण्य में प्रवेश करने या रहने की अनुमति जारी की जाएगी।

ऐसी शर्तों के अधीन और इस तरह के शुल्क के भुगतान पर

निर्धारित किया जा सकता है "।

15.1 . यह तुरंत देखा जा सकता है कि कुछ बदलाव लाए गए थे

अभयारण्य की घोषणा की प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव करने के प्रभाव वाले 1991 के संशोधन अधिनियम संख्या 44 के बारे में। उक्त संशोधन से पहले, 1972 के अधिनियम की धारा 18 (1) के तहत अधिसूचना किसी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने की थी, जबकि इसके बाद

संशोधन, धारा 18 (1) के तहत ऐसी अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा एक क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में गठित करने के अपने इरादे की घोषणा की जाएगी। हालाँकि, अधिकारों को निर्धारित करने के लिए कलेक्टर की शक्तियों के संबंध में प्रावधानों की योजना का शेष भाग; धारा 18 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद अधिकारों के संचय पर रोक; कलेक्टर द्वारा घोषणा जारी करना; कलेक्टर द्वारा जांच;

18 1991 के उक्त अधिनियम संख्या 44 द्वारा, उप-धारा (3) और उप-धारा (4) को धारा 27 में निम्नानुसार जोड़ा गया था: -

" (3) भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) में परिभाषित किसी भी सीमा-चिह्न को नुकसान पहुँचाने या गलत लाभ पहुँचाने के इरादे से कोई भी व्यक्ति ऐसी सीमा-चिह्न को नहीं बदलेगा, नष्ट नहीं करेगा, स्थानांतरित नहीं करेगा या विकृत नहीं करेगा।

(4) कोई भी व्यक्ति किसी भी जंगली जानवर को छेड़-छाड़ या छेड़छाड़ नहीं करेगा या उसके स्थान पर कूड़ा नहीं फेंकेगा।

अभयारण्य "। मेसर्स नेटेसन एजेंसीज (प्लैन्टेशंस) v. राज्य प्रतिनिधि। एस. ई. सी. द्वारा। सरकार के लिए। पर्यावरण और वन विभाग। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

और जाँच के उद्देश्य से कलेक्टर की शक्तियाँ अनिवार्य रूप से समान रहीं। 1 9 _ 20

1972 के अधिनियम की धारा 20 का संचालन और प्रभाव

16. यह संदेह से परे है कि अधिनियम की योजना में

1972 , उसकी धारा 18 के तहत एक अधिसूचना जारी करने का विशिष्ट और हड़ताली प्रभाव पड़ता है, इस तरह की अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर भूमि में किसी भी अधिकार के संचय को रोकने के लिए, वसीयत या निर्वसीयत उत्तराधिकार के माध्यम से (धारा 20 आई. बी. आई. डी. के अनुसार)। भले ही अपीलार्थी को एक अवधि के लिए पट्टे पर जमीन दी गई हो।

19 तथापि, यह इंगित किया जा सकता है कि अभयारण्य की घोषणा की प्रक्रिया की योजना में संशोधन को ध्यान में रखते हुए, जिसमें संशोधन के बाद, धारा 18 के तहत अधिसूचना केवल सरकार के इरादे की घोषणा है, प्रावधानों को 1972 के अधिनियम की धारा 26-ए के माध्यम से जोड़ा गया था ताकि क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में घोषित करने का प्रावधान किया जा सके, अनिवार्य रूप से धारा 18 के तहत अधिसूचना जारी करने के बाद किए गए दावों के निपटारे के बाद, यदि कोई हो। वर्तमान प्रयोजन के लिए, धारा 26-ए की उप-धारा (1) के प्रमुख भाग (परंतुक और अन्य उप-धाराओं को छोड़ते हुए) पर ध्यान देना पर्याप्त होगा, जो निम्नानुसार है: -

26 - ए. अभयारण्य के रूप में क्षेत्र की घोषणा। - (1) कब

-

(क) धारा 18 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई है और दावों को प्राथमिकता देने की अवधि बीत गई है, और अभयारण्य के रूप में घोषित किए जाने वाले क्षेत्र में किसी भी भूमि के संबंध में किए गए सभी दावों, यदि कोई हों, का राज्य सरकार द्वारा निपटारा कर दिया गया है; या

(बी) किसी भी आरक्षित वन या क्षेत्रीय जल के किसी भी हिस्से के भीतर शामिल कोई भी क्षेत्र, जिसे राज्य सरकार द्वारा वन्य जीवन या इसके संरक्षण, प्रसार या विकास के उद्देश्य से पर्याप्त पारिस्थितिक जीव, पुष्प, भू-आकृति विज्ञान, प्राकृतिक या प्राणी विज्ञान महत्व का माना जाता है।

पर्यावरण, एक अभयारण्य में शामिल किया जाना है,

राज्य सरकार उस क्षेत्र की सीमाओं को निर्दिष्ट करते हुए एक अधिसूचना जारी करेगी जो अभयारण्य के भीतर शामिल होगी और घोषणा करेगी कि उक्त

क्षेत्र ऐसी तारीख को और उससे अभयारण्य होगा जो इसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है।

अधिसूचना:

*** "

***

***

20 यह भी बताया जा सकता है कि 2003 के अधिनियम संख्या 16 के माध्यम से अध्याय IV में इन प्रावधानों की योजना में कई और बदलाव किए गए हैं।, धारा 18-ए और 18-बी को अंतःस्थापित किया गया है, जिसमें अभयारण्यों की सुरक्षा और कलेक्टरों की नियुक्ति का प्रावधान है; धारा 19 के तहत घोषणा अब धारा 18 के तहत अधिसूचना जारी होने के साठ दिनों के भीतर जारी की जानी चाहिए; धारा 25-ए को भी धारा 18 के तहत अधिसूचना की तारीख से दो साल के भीतर धारा 19 से 25 के तहत कार्यवाही पूरी करने का प्रावधान किया गया है; उप-धारा (3) को धारा 26-ए में प्रतिस्थापित किया गया है; और धारा 29 को भी प्रतिस्थापित किया गया है, जो मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा दिए गए परमिट के तहत और उसके अनुसार अभयारण्य से वन उपज सहित किसी भी वन्यजीव के विनाश, शोषण या हटाने पर प्रतिबंध लगाता है। इन प्रावधानों को विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं।

01.07.1972 से 5 साल की अवधि 30.06.1977 पर समाप्त हो गई। पट्टा की अवधि पूरी होने की इस तारीख को, निर्विवाद रूप से, धारा 18 (1) के तहत अधिसूचना, जो 06.03.1976 पर जारी की गई थी, लागू थी और यह अपीलार्थी का विशिष्ट दावा था कि विषय भूमि को उक्त अधिसूचना में शामिल किया गया था। 2 1 यह स्थिति होने के कारण, अपीलार्थी के लिए 30.06.1977 पर अपने पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद विचाराधीन भूमि में कोई और अधिकार प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं था। केवल इसी कारण से, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि तथाकथित दूसरा पट्टा विलेख, जिसे 20.03.1978 पर अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित किया गया था, का कोई प्रभाव नहीं था। दूसरे शब्दों में, धारा 18 (1) के तहत अधिसूचना 06.03.1976 पर जारी की गई थी (जिसमें अपीलार्थी के अपने दावे के अनुसार विचाराधीन भूमि शामिल थी), प्रश्नगत भूमि में उत्तराधिकार के अलावा कोई अधिकार अर्जित नहीं किया जा सकता था और इसलिए, अपीलार्थी द्वारा उस विषय भूमि में कोई अधिकार प्राप्त करना, जिसे लीज के माध्यम से उक्त अधिसूचना दिनांक 06.03.1976 द्वारा कवर किया गया है, पूरी तरह से प्रश्न से बाहर था।

16.1 . हमारे विचार में, अपीलार्थी के मामले के पूरे आधार को जमीन पर गिरा दिया जाता है जब यह पाया जाता है कि अपीलार्थी ने अधिग्रहण किया था।

उक्त दूसरे पट्टे दिनांक 20.03.1978 के तहत कोई अधिकार नहीं है और कम से कम राज्य के खिलाफ कोई अधिकार नहीं है। यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले सभी मुकदमों में, शुरू में अभयारण्य से विचाराधीन भूमि को हटाने की मांग; फिर इसे शामिल करने के लिए मुआवजे की मांग; और फिर इसके बहिष्कार पर सवाल उठाते हुए, मठ एक सक्रिय भागीदार रहा था। वास्तव में, बहिष्कार पर सवाल उठाने की अंतिम याचिका मठ और अपीलार्थी द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी। हालाँकि, मठ इस मुकदमे में हर्जाने के दावे में शामिल नहीं हुआ है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी को दिनांक 1 के अपवर्जन के आदेश के आधार पर कार्रवाई के कथित कारण के संदर्भ में हर्जाने का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि कथित दूसरा पट्टा प्रभावी नहीं था और अपीलार्थी ने इसके तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया था। हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि बहिष्करण आदेश दिनांकित है।

19.11.1993 राज्य के खिलाफ कार्रवाई बनाए रखने का कोई भी अधिकार केवल और केवल मठ ही इस तरह की कार्रवाई को बनाए रख सकता था, लेकिन अपीलार्थी नहीं। अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया मुकदमा केवल इसी आधार पर खारिज किया जा सकता है।

21 यहां तक कि जब प्रतिवादी-प्रत्यर्थी ने यह सुझाव देने का अनिश्चित प्रयास किया कि अधिनियम की धारा 18 (1) के तहत विषय भूमि को उक्त अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया था, तो यह अपीलार्थी का विशिष्ट दावा था कि इसे इस तरह से शामिल किया गया था और अपीलार्थी के दावे सहित पूरा मामला इस आधार पर आगे बढ़ा है कि यह वास्तव में उसमें शामिल था।

मेसर्स नेटेसन एजेंसीज (प्लैन्टेशंस) v. राज्य प्रतिनिधि। एसईसी द्वारा। सरकार के लिए। पर्यावरण और वन विभाग। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

भले ही अपीलार्थी को कोई अधिकार था, कोई उल्लंघन नहीं था

17. यह पता चलने पर कि वादी-अपीलार्थी ने कोई अधिग्रहण नहीं किया है

दूसरे पट्टे के तहत अधिकार और हाथ में मुकदमे को खारिज करना केवल इसी आधार पर कायम रखा जा सकता है, फिर भी हम इस पहलू को एक पल के लिए अलग रख सकते हैं और दूसरे प्रश्न की जांच कर सकते हैं कि क्या विषय भूमि में अपीलार्थी (यदि कोई हो) के अधिकार का उल्लंघन इस तरह से किया गया था कि अपीलार्थी को नुकसान के लिए कार्रवाई बनाए रखने का कारण दिया जाए। यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान वाद में हर्जाने का दावा इस दावे पर आधारित है कि प्रतिवादी-राज्य ने अपने अधिकारियों के माध्यम से अपीलार्थी को विषय भूमि में प्रवेश करने और उसका लाभ उठाने से रोककर और फिर हाल ही में विषय भूमि को अभयारण्य से बाहर करके अधिग्रहण के लिए मुआवजे से इनकार करके पूर्वाग्रह और क्षति पहुंचाई। अपीलार्थी के इस तरह के दावे ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा अपने दिनांकित 18.09.1997 के उपरोक्त निर्णय में की गई कुछ टिप्पणियों से भी अपनी ताकत ली है, जिसमें दिनांकित 19.11.1993 के बहिष्करण आदेश के खिलाफ मठ और अपीलार्थी का दावा खारिज कर दिया गया था। हमारे विचार में, अपीलार्थी के दावे में कोई योग्यता नहीं है।

17.1 . उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक 26.02.2007 के विवादित निर्णय में ध्यान दिया है, और ठीक ही है, कि पीडब्लू-1 के प्रवेश के अनुसार भी, अपीलार्थी को बेदखल नहीं किया गया था। तो। जहां तक प्रवेश पर प्रतिबंध का संबंध है, 1972 के अधिनियम की धारा 27 के अनुसार, अभयारण्य की सीमा के भीतर अचल संपत्ति पर कोई अधिकार रखने वाले व्यक्ति को अभयारण्य में प्रवेश करने या रहने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। अधिक से अधिक, धारा 27 की उप-धारा (2) द्वारा अनुध्यात कर्तव्यों का पालन किया जाना है। अनिवार्य रूप से अभयारण्य और उसके निवासियों की रक्षा के लिए इस तरह के कर्तव्यों को किसी भी कानूनी अधिकार का प्रयोग करने से किसी भी तरह की बाधा का कारण नहीं कहा जा सकता है।

17.2 . हमारे विचार में, खंड पीठ ने विवादित फैसले में ठीक ही कहा है कि यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि -

मूल मालिक और वादी को जंगल के अंदर जाने और सामान इकट्ठा करने से रोक दिया गया था। अभिलेख पर तथ्यों और लागू कानून की समझ में, यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी-अपीलार्थी को किसी भी गैरकानूनी तरीके से अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करने से रोका गया था।

राज्य द्वारा। इसलिए, अपीलार्थी के लिए नुकसान के लिए कार्रवाई बनाए रखने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है।

18. बेशक, एक उदाहरण था जहां अपीलार्थी को पेड़ों को गिराने की अनुमति से वंचित कर दिया गया था। उस इनकार को [2019] 11 एस. सी. आर. बनाया गया था।

और अपीलार्थी को 22 वर्षों के लिए कमाई के तथाकथित नुकसान के लिए हर्जाने के दावे को बनाए रखने और शिकायत में की गई प्रार्थनाओं के अनुसार अन्य राशि का दावा करने के लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं कर सकता था। जहाँ तक पेड़ों को गिराने की अनुमति के उपरोक्त इनकार के संबंध में भी, यह माना जा सकता है कि पेड़ उस स्थान पर उपलब्ध थे जब क्षेत्र को अभयारण्य से बाहर रखा गया था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी-अपीलार्थी को, यदि ऐसे पेड़ों पर वैध अधिकार था, तो सरकार के अधिकारियों की कार्रवाई से कोई नुकसान हुआ था।

19. ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, हम संतुष्ट हैं कि अपीलार्थी के खिलाफ हर्जाने का दावा करने का कोई मामला नहीं था

उत्तरदाता-राज्य। इसलिए, अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत विभिन्न निर्णयों से निपटना आवश्यक नहीं प्रतीत होता है।

संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन और उस हिसाब से नुकसान का दावा। हालाँकि, दिनांकित 28.05.1987 पत्र में कलेक्टर की ओर से स्वीकार किए जाने के संबंध में मामले के एक पहलू की जांच की जा सकती है। थिरू जॉन, सुशील कुमार और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (उपरोक्त) के मौलिक सिद्धांतों पर कोई विवाद नहीं है कि एक वादी के खिलाफ स्वीकारोक्ति सबसे अच्छा सबूत है, जब तक कि ठीक से समझाया न जाए। इस मामले में प्रतिवादी-प्रतिवादी की ओर से कोई सबूत नहीं था और उपरोक्त पत्र दिनांक 28.05.1987 को अस्वीकार नहीं किया गया है। हालाँकि, सवाल इस पत्र के प्रभाव के बारे में है। हमारे विचार में, भले ही उक्त पत्र, अनिवार्य रूप से अंतर-विभागीय पत्राचार का हो, उसके अंकित मूल्य पर लिया जाता है, लेकिन उस पर कुछ भी अधिक नहीं होता है क्योंकि, जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही देखा है, यह इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि मूल मालिक और अपीलार्थी को विषय भूमि के अंदर जाने और लाभ एकत्र करने से रोका गया था; और यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी को राज्य द्वारा अपने वैध अधिकार का प्रयोग करने में किसी भी गैरकानूनी तरीके से रोका गया था (यदि अपीलार्थी को ऐसा कोई अधिकार था)।

20. ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, उसके लिए हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दोनों भौतिक प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, अर्थात कि क्या अपीलार्थी का विषय भूमि पर कोई अधिकार था। और यदि कोई ऐसा अधिकार था, कि क्या उसका उल्लंघन किया गया था, तो अपीलार्थी के खिलाफ उचित तरीके से और कानून के अनुसार। हर्जाने के लिए कोई आदेश देने का कोई मामला नहीं है

बनाया गया।

सीमा

21. तथ्यों और इस मामले की परिस्थितियों में, सीमा का सवाल स्वाभाविक रूप से विचार के लिए उत्पन्न होता है।

यदि अधिकारी मेसर्स नेटेसन एजेंसीज (प्लैन्टेशंस) की कार्रवाई। राज्य प्रतिनिधि। एस. ई. सी. द्वारा। सरकार के लिए। पर्यावरण और वन विभाग। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

प्रत्यर्थी का-1972 के अधिनियम के तहत राज्य ने नुकसान के दावे को जन्म दिया, मामला सीधे सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 72 द्वारा कवर किया गया था, जिसमें ऐसे मुकदमे के लिए एक वर्ष की सीमा का प्रावधान किया गया था, जो अधिनियम या चूक होने पर चलना शुरू हो जाता है। सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 72 इस प्रकार है:

एक जब कार्य या

मुआवजे के लिए

चूक होती है।

करना या छोड़ना

वर्ष

के अनुसरण में रहें

में कोई भी अधिनियम

समय के लिए बल

क्षेत्रों में होना

जिसके लिए यह अधिनियम

फैला हुआ है।

21.1 . चल्ला रामकृष्ण रेड्डी (उपरोक्त) के मामले में, यह न्यायालय

यह इंगित किया गया है कि यदि शिकायत किया गया कार्य या चूक वैधानिक प्राधिकरण के अनुसरण में कथित नहीं है, तो अनुच्छेद 72 लागू नहीं होगा;

और यह अनुच्छेद अपने कार्यालय के रंग के तहत दुर्भावनापूर्ण कार्य करने वाले लोक अधिकारी की रक्षा नहीं करेगा। हालांकि वर्तमान मामले में, कोई विशिष्ट नहीं है किसी विशेष अधिकारी/अधिकारी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप और इसलिए, अनुच्छेद 72 आक्षेपित कार्रवाई की तारीख से एक वर्ष की सीमा अवधि के साथ काम करेगा, लेकिन तर्क के लिए, हम यह मान सकते हैं कि अवशिष्ट अनुच्छेद 113, उस समय से तीन वर्ष की सीमा के लिए प्रावधान करता है जब मुकदमा करने का अधिकार प्राप्तकर्ताओं पर लागू हो सकता है। हम आगे यह मान सकते हैं कि 19.11.1993 दिनांकित आदेश ने मुकदमा करने का अधिकार दिया है। तब भी, 08.06.1998 पर दायर किया गया मुकदमा सीमा की अवधि से बहुत आगे था।

21.2 . इसलिए, अपीलार्थी ने धारा का उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया

14 सीमा अधिनियम और उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 18.09.1997 निर्णय में की गई टिप्पणियाँ। जहाँ तक उक्त निर्णय में उच्च न्यायालय की टिप्पणियों का संबंध है, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अंततः यह घोषणा नहीं की थी कि उक्त रिट मामले में बिताए गए समय को धारा 14 के तहत बाहर रखा जाएगा। डिवीजन बेंच ने केवल यह खुला छोड़ दिया कि मुआवजे के दावे में ऐसा आधार उठाया जा सकता है। जब जमीन को ऊपर उठाया जाता था, तो स्पष्ट रूप से इसकी योग्यता के आधार पर इसकी जांच करने की आवश्यकता होती थी।

21.3 . यह देखा गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश, के साथ व्यवहार करते हुए

मुकदमे में मुद्दा संख्या 2, पूरी तरह से सरसरी तरीके से आगे बढ़ा, क्योंकि निर्णय 18.09.1997 और [2019] 11 एस. सी. आर. में टिप्पणियों का उल्लेख करने के बाद।

फिर पक्षों की दलीलों के लिए, विद्वान न्यायाधीश तुरंत

यह देखा गया कि वह निर्दिष्ट किए बिना प्रतिवादी से असहमत होगा कोई भी कारण; और यह निष्कर्ष निकाला कि मुकदमा समय के भीतर दायर किया गया था।

दूसरी ओर, खंड पीठ ने सीमा अधिनियम की धारा 14 के लागू होने पर अपनी प्रथम दृष्टया संदेह की ओर इशारा किया, लेकिन निर्णय नहीं लिया

सीमा का प्रश्न, क्योंकि दावे को गुण-दोष के आधार पर नकार दिया जा रहा था। विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए, इस मुद्दे से निपटना और यह इंगित करना उचित प्रतीत होता है कि धारा 14 क्यों लागू नहीं होगी। 21.4 . धारा 14 सीमा अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो किसी ऐसे न्यायालय में एक दीवानी कार्यवाही पर मुकदमा चलाने में बिताए गए समय को बाहर करने का प्रावधान करता है, जिसकी अधिकारिता नहीं है, जबकि किसी भी मुकदमे में सीमा की गणना करते हुए जहां मुद्दा पहले की कार्यवाही के समान है। इस प्रावधान और इसकी उप-धारा (1) का शीर्षक निम्नानुसार निकाला जा सकता है:

" 14. अधिकारिता के बिना न्यायालय में ईमानदारी से कार्यवाही करने के समय का बहिष्करण। - (1) किसी भी वाद के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में वह समय जिसके दौरान वादी मुकदमा चला रहा है।

उचित परिश्रम के साथ प्रतिवादी के खिलाफ एक अन्य दीवानी कार्यवाही, चाहे वह पहली बार की अदालत में हो या अपील या संशोधन की, को बाहर रखा जाएगा, जहां कार्यवाही मुद्दे में उसी मामले से संबंधित है और उस अदालत में सद्भावना से मुकदमा चलाया जाता है जो अधिकार क्षेत्र के दोष या समान प्रकृति के अन्य कारण से इसे स्वीकार करने में असमर्थ है।

21.4. 1 . हम उपयोगी रूप से सीमा अधिनियम की धारा 14 की प्रयोज्यता के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को इंगित करने वाले प्रासंगिक निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं। माधवराव नारायणराव पटवर्धन बनाम।

रामकृष्ण गोविंद भानू और अन्य। : ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 767, यह न्यायालय

धारा 14 के प्रयोजन के लिए वादी की आवश्यकताओं को निम्नलिखित में इंगित किया गया है:

" 6. ..... उसके मामले को उद्धृत धारा के भीतर लाने के लिए

ऊपर, वादी को सकारात्मक रूप से दिखाना होगा:

(1) कि वह मिराज में मुन्सिफ की अदालत में पिछले मुकदमे पर उचित परिश्रम के साथ मुकदमा चला रहा था। (2)

कि पिछला मुकदमा उसी कारण पर आधारित था

कार्रवाई, मेसर्स नेटेसन एजेंसीज (प्लैन्टेशंस) v. राज्य प्रतिनिधि। एस. ई. सी. द्वारा। सरकार के लिए। पर्यावरण और वन विभाग। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

(3) कि उस अदालत में उस पर सद्भावना से मुकदमा चलाया गया था,

और

(4)

कि वह अदालत उस मुकदमे पर विचार करने में असमर्थ थी

अधिकारिता के दोष या अन्य कारण का लेखा-जोखा

प्रकृति की तरह।

21.4. 2 . इसके अलावा, जफर खान और ओआरएस के मामले में। वी. राजस्व बोर्ड, यू. पी. और अन्य। : 1984 (सप) एस. सी. सी. 505, इस न्यायालय ने इंगित किया

इस प्रकार बाहर निकलें:

" 13. धारा 14 (1) के आवेदन को आकर्षित करने के लिए, इसके लाभ की मांग करने वाले पक्षों को अदालत को संतुष्ट करना चाहिए कि: ((i) वह

वादी के रूप में पक्षकार एक अन्य दीवानी मुकदमा चला रहा था

उचित परिश्रम के साथ कार्यवाही; (ii) कि पूर्व की कार्यवाही और बाद की कार्यवाही मुद्दे में एक ही मामले से संबंधित है, और (iii) पूर्व की कार्यवाही पर एक अदालत में सद्भावना से मुकदमा चलाया जा रहा था, जो अधिकार क्षेत्र के दोष या अन्य कारणों से हो।

एक समान प्रकृति का कारण, इसका मनोरंजन करने में असमर्थ।

21.4. 3 . यशवंत देवराव (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उस समय के सीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत कोई बहिष्करण नहीं हो सकता है

निर्णय देनदार के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही में खर्च किया गया, उसके खिलाफ एक डिक्री को निष्पादित करने के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में, क्योंकि दोनों कार्यवाही समान राहत प्राप्त करने के लिए नहीं थीं। इस अदालत ने कहा,

“ 5 ..... दिवाला में मांगी गई राहत स्पष्ट रूप से निष्पादन आवेदन में मांगी गई राहत से अलग है। में

पूर्व में, ऋणी को दिवालिया घोषित करने की मांग की जाती है

उसकी सारी संपत्ति के निहित होने के लिए प्रारंभिक रूप से और

सभी लेनदारों के लाभ के लिए, आधिकारिक प्राप्तकर्ता या आधिकारिक असाइनी द्वारा, जैसा भी हो, इसका प्रशासन; लेकिन बाद में, बकाया धन को केवल डिक्री धारक के लाभ के लिए, संपत्ति की कुर्की और व्यक्ति की गिरफ्तारी जैसी प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त करने की मांग की जाती है। यह हो सकता है कि अंततः दिवालिया कार्यवाही में डिक्री धारक अपने ऋण को पूरी तरह से या आंशिक रूप से चुकाने में सक्षम हो सकता है, लेकिन यह केवल एक परिणाम या परिणाम है। न केवल दोनों कार्यवाहियों में एक अलग प्रकृति की राहत है, बल्कि प्रक्रिया भी व्यापक रूप से भिन्न है। "[2019]

21.4. 4 . हम काशीनाथ शंकरप्पा बनाम में नागपुर उच्च न्यायालय के एक खंड पीठ के फैसले का भी उल्लेख कर सकते हैं। द न्यू अकोट कॉटन जिनिंग एंड प्रेसिंग कंपनी लिमिटेड : ए. आई. आर. 1951 नागपुर 255 में, इस सवाल पर कि क्या दीवानी न्यायालय में ऋण की वसूली के लिए की गई कार्रवाई में, समापन कार्यवाही में बिताए गए समय को बाहर रखा जा सकता है, उच्च न्यायालय ने नकारात्मक जवाब दिया:

" 28. जिन आधारों पर किसी कंपनी को बंद किया जा सकता है, वे हैं -

कंपनी अधिनियम की धारा 162 में उल्लिखित। इनकी संख्या बहुत है। भले ही यह माना जाए कि आवेदन धारा 162 (v) के तहत था, अर्थात्, कि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ थी, धारा 163 (1) से पता चलता है कि "अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ" अभिव्यक्ति तीन अलग-अलग अवधारणाओं को समाहित करती है। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि आवेदन इस विशेष ऋण तक ही सीमित था। लेकिन भले ही ऐसा था, धारा 163 (1) के तहत कार्यवाही को समाप्त करने में कार्रवाई का कारण कंपनी की अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता है, न कि ऋण की वसूली के रूप में। वसूली का सवाल तब तक नहीं उठता जब तक कि समापन आदेश नहीं दिया जाता है और एक परिसमापक नियुक्त नहीं किया जाता है। यह उस स्तर पर है जब कंपनी के खिलाफ दावों की जांच की जाती है और निर्णय लिया जाता है। इसलिए उन कार्यवाहियों में कार्रवाई का कारण और यहां कार्रवाई का कारण समान नहीं था। यह इस प्रकार है कि धारा 14 आकर्षित नहीं।

21.4. 5 . अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा निर्दिष्ट निर्णय अलग-अलग स्थितियों के थे। रामेश्वरलाल (ऊपर) में, दावा

याचिकाकर्ता द्वारा वेतन का था जिसे रिट याचिका में इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया था कि दावा दीवानी कार्रवाई में वसूली योग्य था और उसके बाद दीवानी मुकदमा दायर किया गया था। इस न्यायालय ने इस सामान्य सिद्धांत का संकेत दिया कि मामले से निपटने वाले न्यायालय को पहली बार में मामले पर विचार करने के लिए अधिकार क्षेत्र या समान प्रकृति के अन्य कारणों की कमी पाई जानी चाहिए, लेकिन फिर पाया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से राहत देने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता को दीवानी अदालत में एक मुकदमे के लिए खारिज करना। दी गई परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को बिना उपचार के नहीं छोड़ा जा सकता है। श्रृंगेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी (ऊपर) के मामले में, मध्यस्थता पुरस्कार को शुरू में एक रिट याचिका के माध्यम से चुनौती देने की मांग की गई थी, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि पुरस्कार को मैसर्स नेटेसन एजेंसीज (प्लैन्टेशंस) v की धारा 34 के तहत चुनौती दी जानी चाहिए थी।

राज्य प्रतिनिधि। एस. ई. सी. द्वारा। सरकार के लिए। पर्यावरण और वन विभाग। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। फिर, जिला न्यायाधीश ने 1996 के उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन को समय द्वारा वर्जित होने के लिए खारिज कर दिया। इस न्यायालय ने पाया कि सीमा अधिनियम की धारा 14 की प्रयोज्यता को 1996 के उक्त अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया था और इसलिए, यह मामला जिला न्यायाधीश को यह जांचने के लिए भेजा गया था कि क्या अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष उपचार का अभियोजन करने में बिताई गई अवधि को बाहर रखा जा सकता है।

21.4. 6 . ऊपर उल्लिखित सभी निर्णयों के माध्यम से चलने वाला सामान्य सूत्र यह है कि सीमा अधिनियम की धारा 14 की प्रयोज्यता के लिए और पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में बिताए गए समय को छोड़कर, पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती दोनों कार्यवाहियों में मुद्दा समान होना चाहिए। यह अन्य आवश्यकताओं के अलावा है कि पिछली कार्यवाही दीवानी कार्यवाही थी, जिस पर वादी द्वारा उचित परिश्रम के साथ मुकदमा चलाया जा रहा था और एक ऐसे न्यायालय में, जो अधिकार क्षेत्र के दोष या समान प्रकृति के अन्य कारण से, इसे स्वीकार करने में असमर्थ था, हालांकि वादी उस न्यायालय में सद्भावना से मुकदमा चला रहा था।

कार्यवाही और वादी उचित परिश्रम के साथ मुकदमा चला रहा होगा, सीमा अधिनियम की धारा 14 की अन्य आवश्यकताओं में से कोई भी संतुष्ट नहीं है। मूल अपेक्षा, कि पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती कार्यवाही में मुद्दा समान होना चाहिए और पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती दोनों कार्यवाहियां कार्रवाई के एक ही कारण और एक ही राहत के लिए संबंधित होनी चाहिए, पूरी तरह से अनुपस्थित है। बल्कि, पूर्ववर्ती कार्यवाही में जारी किए गए मामले को वर्तमान वाद में जारी किए गए मामले से अलग किया जा सकता है। उक्त पूर्ववर्ती कार्यवाही में, वादी अपीलार्थी मठ के साथ यह दावा करने के लिए शामिल हुआ कि प्रतिवादी-राज्य को अभयारण्य से विचाराधीन भूमि को बाहर करने का अधिकार नहीं है और राज्य को भूमि लेनी चाहिए और प्रस्तावित के अनुसार मुआवजा देना चाहिए। उसके कुछ अधिकारियों द्वारा। दूसरी ओर, वर्तमान वाद में दावा इस आधार पर स्थापित किया गया है कि वादी को 1972 के अधिनियम के तहत कार्यवाही के कारण नुकसान हुआ है और फिर,

अधिग्रहण से विषय भूमि। वर्तमान वाद में दावा की गई राहत और यहाँ जारी किए गए मामले को वही नहीं कहा जा सकता है जो पहले की कार्यवाही में जारी किया गया था, यानी दिनांक 1 के बहिष्करण आदेश के खिलाफ उक्त रिट याचिका। इस तथ्य के अलावा कि पूर्ववर्ती कार्यवाही अर्थात उक्त रिट याचिका दिनांकित बहिष्करण आदेश को रद्द करने के लिए एक अलग राहत के लिए थी, यह भी प्रासंगिक है कि उक्त रिट [2019] 11 एस. सी. आर.

याचिका को योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया गया था न कि अधिकार क्षेत्र के अभाव में। सीमा अधिनियम की धारा 14 की प्रयोज्यता को इसमें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है।

मामला।

21.6 . हम यह भी देख सकते हैं कि यदि उक्त आदेश दिनांक 1 ने अपीलार्थी को नुकसान/मुआवजे का दावा करने का कोई कारण दिया था, तो सीमा उस तारीख से ही चलने लगी थी और रिट याचिका में उक्त कार्यवाही ने इस तरह की सीमा को कभी नहीं रोका था। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि उक्त आदेश दिनांक 19.11.1993 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 13.09.1995 पर रद्द कर दिया गया था और केवल तभी पुनर्जीवित किया गया जब डिवीजन बेंच ने 18.09.1997 पर राज्य की अपील की अनुमति दी और इसलिए, सीमा डिवीजन बेंच के फैसले की तारीख से चलती है। यह प्रस्ताव, पहली बार में, आकर्षक लग रहा था, लेकिन मामले को करीब से देखने पर इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। रिट याचिका दायर करना या उसमें पारित कोई आदेश नहीं था।

गिरफ्तारी सीमा में काम करें जो अब तक 19.11.1993 पर चलना शुरू हो गया था

हर्जाने के लिए मुकदमा करने का अधिकार संबंधित है। वादी-अपीलार्थी ने जानबूझकर दिनांक 1 के आदेश के मद्देनजर हर्जाने का दावा नहीं करने का फैसला किया और इसके बजाय, यह राहत पाने के लिए मठ में शामिल हो गया कि 1 के उक्त आदेश को रद्द कर दिया जाए और भूमि को अभयारण्य से बाहर नहीं रखा जाए। इस तरह के प्रयास में विफल होने के बाद, अपीलार्थी वर्ष 1998 में मुकदमा दायर करके नुकसान के दावे को बनाए नहीं रख सकता था।

21.7 . दिनांकित 18.09.1997 आदेश में खंड पीठ की टिप्पणियों में यह सुझाव दिया गया है कि जैसे कि उक्त याचिका में बिताया गया समय हो सकता है।

आसानी से बाहर किए जाने का कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि खंड पीठ, उक्त रिट मामले पर विचार करते समय, मुकदमे में सीमा के मुद्दे को प्रत्याशित रूप से तय नहीं कर सकती थी। निर्णायक प्रकृति की कुछ अभिव्यक्तियाँ, जैसा कि डिवीजन बेंच द्वारा दिनांकित 18.09.1997 के फैसले में उपयोग की गई थीं, बल्कि अनुचित थीं और किसी भी मामले में, नुकसान के लिए मुकदमे के संबंध में सीमा का सवाल नहीं बना सकती थी। हम और नहीं कहते हैं क्योंकि, समग्र रूप से पढ़ें, उक्त निर्णय दिनांक 18.09.1997 को भविष्य की कार्रवाई के लिए धारा 14 की प्रयोज्यता के संबंध में अंतिम निष्कर्ष के रूप में नहीं लिया जा सकता है। जैसा कि देखा गया है, सीमा अधिनियम की धारा 14 वर्तमान मुकदमे पर लागू नहीं होती है और अन्यथा सीमा द्वारा वर्जित होने के कारण, मुकदमा अकेले इसी आधार पर खारिज किया जा सकता है।
22. हम यह भी देख सकते हैं कि जहां तक दिनांकित 16.11.1976 आदेश द्वारा पेड़ों को काटने से इनकार करने का संबंध है, यदि वादी-अपीलार्थी मैसर्स नेटेसन एजेंसीज (प्लैन्टेशंस) v.

राज्य प्रतिनिधि। एस. ई. सी. द्वारा। सरकार के लिए। पर्यावरण और वन विभाग। [दिनेश माहेश्वरी, जे.

उस अंक पर नुकसान का दावा करने का कोई भी अधिकार था, सैम को उस तारीख से सीमा के भीतर किया जाना चाहिए था। उस संबंध में राहत का दावा 20 साल से अधिक समय बाद दायर किए गए मुकदमे के माध्यम से नहीं किया जा सकता था।

निष्कर्ष

23. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि वादी-अपीलार्थी द्वारा दायर किए गए मुकदमे को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था और अन्यथा भी,

वादी-अपीलार्थी के पास प्रतिवादी-राज्य से हर्जाने का दावा करने के लिए गुण-दोष पर कोई मामला नहीं था। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने राज्य द्वारा दायर अपील को उचित रूप से स्वीकार कर लिया है और बेसलों को सही ढंग से खारिज कर दिया है: अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया मुकदमा।

24. तदनुसार और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अपील खारिज हो जाती है। मामले की परिस्थितियों में, पक्षों को पीटने के लिए छोड़ दिया जाता है

अपने स्वयं के खर्च।

अंकित ज्ञान

या

चिका खारिज